

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का सं. 44)

नियम और विनियम



राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता तथा बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

दूरभाष : +91-11-43187878, फ़ैक्स: 011-43187880

ईमेल : contactus@thenationaltrust.in, वेबसाइट: www.thenationaltrust.in

पुनः-मुद्रित (2013)

अस्वीकरण (Disclaimer):

प्रस्तुत पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पुस्तक का हिंदी अनुवाद है यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी पुस्तक में वर्णित वाक्य/शब्दावली मान्य होगी।

**राष्ट्रीय न्यास अधिनियम,
1999**

कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1999/पोष 9, 1921 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम के लिए राष्ट्रपति की सहमति 30 दिसम्बर, 1999 को प्राप्त हुई और सामान्य सूचना के लिए उसे एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

स्वपरायणता (आटिज्म), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

1994 का सं. 4

(30 दिसम्बर 1999) एक अधिनियम जो स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण और उससे संबंधित मामलों या उसके आनुशंगिक जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय के गठन की व्यवस्था करता है

—इस प्रकार संसद द्वारा गणतन्त्र के पचासवें वर्ष में निम्नानुसार अधिनियम किया गया—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार

1. (1) इस अधिनियम को स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 कहा जा सकता है।
(2) जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ इसका विस्तार समस्त भारत के लिए है।
2. इस अधिनियम में, जबतक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं—परिभाषा
(क) “स्वपरायणता” (ऑटिज्म) का अर्थ है असमान निपुणता की स्थिति जो मनुष्य की संचार—व्यवहार और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है और बारंबारता मूलक और विधिवादी व्यवहार से चिन्हित होती है।
(ख) “बोर्ड” का अर्थ न्यासियों का बोर्ड है जिसे धारा 3 के अन्तर्गत गठित किया गया है
(ग) “प्रमस्तिष्क घात” (सेरेब्रल पाल्सी) का तात्पर्य एक व्यक्ति की गैर—प्रगतिशील स्थितियों के समूह से है जो असामान्य मस्तिष्क अनादर या चोटों के फलस्वरूप असामान्य मोटर नियन्त्रित और स्थिति द्वारा विशेषीकृत होती है जो प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन या विकास के शैशव काल में घटित होती है;

- (घ) “अध्यक्ष” का अर्थ है बोर्ड का अध्यक्ष जिसे धारा-3 की उपधारा (4) उपखंड (4) के खण्ड (क) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।
- (ङ.) “मुख्य कार्यकारी अधिकारी” का अर्थ मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जिसे धारा 8 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।
- (च) “सदस्य” का अर्थ है बोर्ड का एक सदस्य है और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है।
- (छ) “मानसिक मन्दता” (मेन्टल रिटार्ड) का अर्थ है व्यक्ति के चित्त के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति जो बुद्धि की अपसामान्य स्थिति द्वारा विशेषीकृत होती है।
- (ज) “बहु-निःशक्तताओं” (मल्टीपल डिसेब्लिटी) का अर्थ है दो या अधिक निःशक्तताओं का संयोजन है जैसा अशक्तताओं वाला व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 क 1) की धारा 8 की उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है।
- (झ) “अधिसूचना” का अर्थ है एक अधिसूचना जो सरकारी गजट में प्रकाशित होता है
- (ट) “निःशक्तता वाला व्यक्ति” का अर्थ ऐसा व्यक्ति है जो स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता अथवा किसी स्थिति/या ऐसी दो या दो से अधिक निःशक्तता से ग्रस्त है और इसमें गम्भीर बहु-निःशक्तता वाला व्यक्ति भी शामिल होता है;
- (ठ) “निर्धारित” का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये नियमों द्वारा निर्धारित;
- (ड) “वृत्तिक” का अर्थ ऐसे व्यक्ति से हैं जो क्षेत्र में विशेष दक्षता रखता है जो निःशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देगा।
- (ढ) “पंजीकृत संगठन” का अर्थ निःशक्तता वाले व्यक्तियों के एक संघ या निःशक्तता वाले व्यक्तियों के माता पिताओं के एक संघ या स्वैच्छिक संगठन से है, जो धारा 12 के अंतर्गत पंजीकृत है, जैसी भी स्थिति हो;
- (ण) “विनियमों” का अर्थ विनियमों से है जिन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा बनाया गया है;
- (त) “गंभीर निःशक्तता” का अर्थ ऐसी निःशक्तता है जो एक या अधिक बहु-निःशक्तताओं का 80 प्रतिशत या अधिक भाग रखती है।
- (थ) “न्यास” का अर्थ स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय न्यास से हैं।

अध्याय-2

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास

3. स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु- निःशक्तताओं आदि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास का गठन –
- (1) ऐसी तारीख से जैसा केन्द्र सरकार, अधिसूचना द्वारा निर्धारित की जाएगी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास नाम के एक निकाय का गठन किया जाएगा जो एक कॉर्पोरेट निकाय उपरोक्त नाम से होगा, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक साक्षी सील, शक्ति के साथ होगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति चल और अचल दोनों का अर्जन, धारण और निपटान किया जाएगा, अनुबंध कर सकेगा और उक्त नाम से मुकदमा चला सकेगा या उक्त नाम पर मुकदमा चलाया जा सकेगा।
 - (2) न्यास के मामलों और कामकाज का सामान्य अधीक्षण, निर्देशों और प्रबन्धन एक बोर्ड में निहित होगा जो सब शक्तियों का प्रयोग करेगा और सब कार्य और चीजें करेगा जिसे न्यास द्वारा किया जाये/या प्रयोग किया जाये।
 - (3) न्यास का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बाद बोर्ड भारत में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित कर सकेगा।
 - (4) बोर्ड निम्नलिखित से मिल कर बनेगा—
 - (क) एक अध्यक्ष जिसे केन्द्र सरकार द्वारा उन लोगो में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हे स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त है;
 - (ख) नौ व्यक्तियों को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार/सदस्य नियुक्त किया जाएगा जैसी पंजीकृत संगठनों के बीच में से निर्धारित की जाए जिसमें स्वैच्छिक संगठनों, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु- निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के माता पिताओं के संगठनों और निःशक्तता वाले व्यक्तियों के संघ, सदस्य-प्रत्येक में से तीन तीन सदस्य होंगे। परन्तु इस धारा के अन्तर्गत आरंभिक नियुक्ति सरकार द्वारा नामांकन से की जाएगी;
 - (ग) सरकार द्वारा आठ व्यक्तियों को नामित किया जाएगा जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के संयुक्त सचिव से कम पद के नहीं होंगे और वे मंत्रालयों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों, महिला और शिशु विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वित्त, श्रम, शिक्षा, शहरी मामलों और नियोजन और ग्रामीण नियोजन और गरीबी उन्मूलन, सदस्य वदन का प्रतिनिधित्व करेंगे।
 - (घ) तीन व्यक्तियों का नामांकन सदस्यों के रूप में बोर्ड द्वारा किया जाएगा जो उत्थान के कार्यकलापों में

लगे व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के संघों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(ड) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद का होगा, पदेन सदस्य सचिव होगा;

5. बोर्ड अपने साथ किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से और ऐसे प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध कर सकता है जैसा विनियमों द्वारा निर्धारित और जिसकी सहायता या सलाह, न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित है:

परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति को उन प्रयोजनों से सम्बद्ध विचार-विमर्शों में भाग लेने के अधिकार होगा लेकिन बोर्ड की बैठक में उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए वह सदस्य नहीं होगा।

परन्तु इस प्रकार सम्बद्ध किए गए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या आठ से अधिक नहीं होगी और जहां तक संभव होगा सम्बद्ध किए गए ऐसे व्यक्ति पंजीकृत संगठनों से या प्रोफेशनल/पेशेवर/अनुभवी में से होंगे।

4. अध्यक्ष और सदस्यों, बोर्ड की बैठक आदि की कार्यकाल अवधि

(1) अध्यक्ष या सदस्य नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अपने उत्तराधिकारी के विधिवत् नियुक्त हो जाने तक जो भी लंबी हो, पद पर बना होगा;

परन्तु कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा

(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी निर्धारित की जायेगी।

(3) बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार भरा जाएगा और नियुक्त व्यक्ति बाकी उस अवधि के लिए ही पद पर रहेगा जिस तक सदस्य ने पद धारण किया होगा जिसके स्थान पर वह नियुक्त हुआ है।

(4) अध्यक्ष और सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले, केन्द्र सरकार अपने आपको संतुष्ट करेगी कि उस व्यक्ति का न कोई वित्तीय या अन्य हित है और न ही वह रखेगा जिससे ऐसे सदस्य के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(5) पद धारण करने की अवधि के दौरान बोर्ड का कोई सदस्य न्यास का लाभार्थी नहीं होगा।

(6) बोर्ड की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर होगी जैसा बोर्ड द्वारा विनियमों से निर्धारित किया जाएगा और बैठक में कारबार का संयवहार करने में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जैसा कि निर्धारित किए गए हों।

(7) यदि किसी कारण अध्यक्ष बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता तो उनमें से कोई भी सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसे उपस्थित सदस्यों ने चुन लिया है।

- (8) बोर्ड की बैठक के सामने आने वाले सब प्रश्नों पर उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा और वोटों के समान रहने की स्थिति में अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास दूसरा और निर्णायक वोट होगा।

5. अध्यक्ष या सदस्यों का त्याग पत्र

1. केन्द्र सरकार को अपने हाथ से लिख कर अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है: परन्तु जब तक केन्द्र सरकार उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं करती, अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा।
2. एक सदस्य अपने हाथ से लिखकर और अध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है।

6. निरहर्ताएँ – कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होगा यदि वह—

- (क) विक्षिप्त है या विक्षिप्त हो गया है और सक्षम न्यायालय ने ऐसा घोषित कर दिया है; या
- (ख) किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष है या रहा है जिसमें केन्द्र सरकार की राय में नैतिक पतन शामिल है।
- (ग) दिवालिया है या किसी न्यायालय द्वारा निर्णीत दिवालिया है।

7. सदस्य द्वारा कार्यालय खाली करना –यदि कोई सदस्य—

- (क) धारा 6 में वर्णित निरहर्ताओं में से किसी के अधधीन हो जाता है, या
- (ख) गैरहाजिरी की छुट्टी प्राप्त किए बिना बोर्ड की तीन बैठकों से लगातार गैर हाजिर होता है; या
- (ग) धारा 5 के अंतर्गत अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता है तो उसपर उसका स्थान खाली हो जाएगा।

8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी और न्यास के कर्मचारी

- (1) केन्द्र सरकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त करेगी तो बोर्ड के निर्देशों के अन्तर्गत ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो निर्धारित हैं या जैसे अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जायें।
- (2) केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के साथ बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करेगा जो न्यास के उद्देश्यों का पालन करने के लिए वह जरूरी समझेगा
- (3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और न्यास के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

9. बोर्ड में रिक्तियों से कृत्य विधि आदि अमान्य नहीं हो जायेंगे –

बोर्ड के किसी कृत्य या कार्यवाही पर इस आधार पर ही प्रश्न नहीं उठाए जायेंगे कि बोर्ड में कोई पद स्थित है या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि है।

अध्याय - 3

न्यास के उद्देश्य

10. न्यास के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे—

- (क) निःशक्तता वाले लोगों को समर्थ और सशक्त बनाना, समुदाय के भीतर और निकट यथा संभव स्वतन्त्र रूप से और पूर्ण रूप से रह सकें, जिसके वे अंग हैं।
- (ख) निःशक्तता वाले व्यक्तियों को सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान करें कि वे अपने परिवारों के अन्दर रह सकें;
- (ग) पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करें कि निःशक्तता वाले व्यक्तियों को परिवार में संकट की अवधि के दौरान जरूरत आधारित सेवाएं उपलब्ध करा सकें,
- (घ) निःशक्तता वाले व्यक्तियों की समस्याओं का निपटान करना जिन्हें परिवार से सहायता नहीं मिलती;
- (ङ.) निःशक्तता वाले व्यक्तियों के संरक्षकों या माता-पिता की मृत्यु होने की स्थिति में उनकी देख रेख और सुरक्षा के लिए उपाय प्रस्तुत करना;
- (च) निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए, जिन्हें ऐसी सुरक्षा की जरूरत है संरक्षकों और न्यासियों की नियुक्ति के लिए क्रिया विधि तैयार करना;
- (छ) निःशक्तता वाले व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी, समान अवसर और अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त किए जाने को सुगम बनाना;
- (ज) और कोई अन्य कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों के आनुशंगिक हों।

अध्याय-4

बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य

11. (1) बोर्ड—

- (क) केंद्र सरकार से एक मुश्त रकम (कॉर्पस) के लिए एक सौ करोड़ रुपये का एक-समय का अंशदान प्राप्त करेगा और उसकी आय का उपयोग निःशक्तता वाले लोगों के जीवन के लिए पर्याप्त स्तर उपलब्ध करने के लिए किया जाएगा।
- (ख) निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए सामान्यतः और न्यास के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए विशेषतः किसी भी व्यक्ति से चल संपत्ति की संकल्प दान (वसीयतें) प्राप्त करेगा

परन्तु यह बोर्ड के लिए अनिवार्य होगा की वसीयत में यदि कोई हो तो, नामोद्दिष्ट लाभार्थी के लिए

जीवन के पर्याप्त स्तर के लिए व्यवस्था करेगा और वसीयत में दी गयी संपत्ति का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए करेगा जिस प्रयोजन के लिए वसीयत बनाई गयी है।

बशर्ते की बोर्ड किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा की वसीयत में वर्णित समस्त राशि का उपयोग वसीयत में हितोधिकारियों के रूप में नामित निःशक्तता वाले व्यक्तियों के अनन्य लाभ के लिए करे।

(ग) केंद्र सरकार से ऐसी राशियाँ प्राप्त करेगा जिसे प्रत्येक वित्त वर्ष में आवश्यक समझा जाएगा ताकि पंजीत संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके कि वे अनुमोदित कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कर सकें

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, पद “अनुमोदित कार्यक्रम” का अर्थ है:

(क) कोई कार्यक्रम जो निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए समुदाय में स्वतंत्र जीवन यापन को निम्न के द्वारा बढ़ावा देता है—

(i) समुदाय में अनुकूल माहौल उत्पन्न कर के;

(ii) निःशक्तता वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को परामर्श और प्रशिक्षण दे कर

(iii) वयस्क प्रशिक्षण यूनिटों, व्यक्तिगत और समूह घरों को स्थापित करके)

(ख) कोई भी कार्यक्रम जो निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए देखरेख, परिवार देखरेख का संवर्धन या निःशक्तता वाले लोगों के लिए दिवस देख-रेख सेवा को बढ़ावा देता है;

(ग) निःशक्तता वाले लोगों के लिए रिहायषी होस्टल और रिहायषी घरों की स्थापना करना;

(घ) निःशक्तता वाले व्यक्तियों के स्वतः सहायता समूहों का विकास करना ताकि अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें।

(ङ) संरक्षकता का अनुमोदन प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर समिति की स्थापना करना; और

(च) ऐसे अन्य कार्यक्रम जो न्यास के उद्देश्यों को बढ़ावा देते हैं।

(3) उप-धारा (2) की खण्ड (सी) के प्रयोजन के लिए निधियों को चिन्हित करते समय, निःशक्तता वाली महिलाओं का गंभीर निःशक्तता वाले व्यक्तियों और निःशक्तता वाले वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता दी जाएगी।

स्पष्टीकरण – उपधारा के प्रयोजनों के लिए, पद—

(क) “गंभीर निःशक्तता वाले व्यक्ति” का वही अर्थ होगा जैसा निःशक्तता वाले व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का 1) की धारा 56 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इसे दिया गया है

(ख) “वरिष्ठ नागरिक” का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आयु 65 वर्ष या अधिक है।

अध्याय 5

12. रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया—

1. निःशक्तता वाले व्यक्तियों का कोई संघ, या निःशक्तता वाले व्यक्तियों के माता पिताओं का कोई संघ या एक स्वैच्छिक संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य निःशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देना है बोर्ड को पंजीकरण के लिए आवेदन दे सकता है।
2. पंजीकरण के लिए आवेदन एवं फार्म भरने का तरीका बताया जाएगा जैसा बोर्ड द्वारा विनियम से उपलब्ध कराया जाए और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे और उसके साथ ऐसे दस्तावेज और ऐसे शुल्क रहेंगे जैसा विनियमों में उपबंधित है।
3. पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने के बाद, बोर्ड आवेदन की असलीयत और उसमें दिए गए ब्योरे के सत्यता के बारे में ऐसी पूछताछ करेगा, जो यह उचित समझता है।
4. ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर बोर्ड या तो आवेदक को पंजीकरण प्रदान करेगा या आवेदन को रद्द करेगा और उसके कारणों को लिखित में दर्ज करेगा।

परंतु यह कि जहां आवेदक को पंजीकरण की मनाही की गई है, उक्त आवेदक अपने पहले आवेदन में त्रुटियों को दूर रखते हुए, यदि कोई तो, पुनः एक आवेदन दे सकेगा।

अध्याय 6

स्थानीय स्तर समिति

13. स्थानीय स्तर समिति का गठन—

- (1) बोर्ड इसके द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए एक स्थानीय स्तर समिति का गठन करेगा।
- (2) एक स्थानीय स्तर समिति में शामिल होंगे—
 - (क) संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला के जिला आयुक्त से नीचे के पद का नहीं होगा।
 - (ख) किसी पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि; और
 - (ग) निःशक्तता वाला व्यक्ति जैसा, निःशक्तता वाले व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के खण्ड 2 की धारा (क) में परिभाषित किया गया है।
- (3) एक स्थानीय स्तर समिति अपने गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या ऐसे समय तक जब बोर्ड

- द्वारा इसका पुनः गठन किया जाता है।
- (4) स्थानीय स्तर समिति तीन माह में एक बार या ऐसे अंतराल पर मिलेगी जैसा आवश्यक हो।

14. संरक्षकता की नियुक्ति

1. निःशक्तता वाले व्यक्ति के मां बाप या उसका संबंधी स्थानीय स्तर समिति को निःशक्तता वाले व्यक्ति के संरक्षक के रूप में काम करने के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकता है।
2. कोई पंजीकृत संगठन निःशक्तता वाले व्यक्ति के लिए एक संरक्षक की नियुक्ति के लिए स्थानीय स्तर समिति को निर्धारित फार्म में आवेदन दे सकता है

बशर्ते कि ऐसे किसी आवेदन पर स्थानीय स्तर समिति द्वारा कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि निःशक्तता वाले व्यक्ति के संरक्षक से भी सहमति प्राप्त नहीं कर ली जाती।
3. एक संरक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करते समय, स्थानीय स्तर समिति विचार करेगी कि
 - क्या निःशक्तता वाले व्यक्ति को संरक्षक की जरूरत है
 - निःशक्तता वाले व्यक्ति के लिए संरक्षकता किन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है।
4. उपखण्ड (1) और (2) के अंतर्गत आवेदनों को स्थानीय स्तर समिति प्राप्त करेगी। कार्यवाही करेगी और निर्णय इस तरीके से लेगी जैसा विनियमों द्वारा निर्धारित हो:

परंतु यह कि एक संरक्षक की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय, स्थानीय स्तर समिति दायित्वों का उल्लेख करेगी जिन्हें संरक्षक द्वारा पूरा किया जाना है।
5. स्थानीय स्तर समिति बोर्ड को ऐसे अंतरालों पर जैसे विनियमों द्वारा निर्धारित किए गए हों इसके द्वारा प्राप्त आवेदनों और उस पर लिए गए आदेशों का ब्यौरा भेजा जायेगा।

15. संरक्षक के कर्तव्य

इस अध्याय के अंतर्गत निःशक्तता वाले किसी व्यक्ति के संरक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति निःशक्तता वाले व्यक्ति और उसकी संपत्ति की, जहां अपेक्षित है, देखरेख करेगा या निःशक्तता वाले किसी व्यक्ति के भरणपोषण के लिए उत्तरदायी होगा।

16. संरक्षक संपत्ति—सूची और वार्षिक लेखे प्रस्तुत करेगा—

- (1) धारा 14 के अंतर्गत संरक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर जिस प्राधिकारी ने उसकी नियुक्ति की है उसे निःशक्तता वाले व्यक्ति की सब परिसंपत्तियों और निःशक्तता वाले व्यक्ति की ओर से प्राप्त अन्य चल संपत्ति की सूची सौंपेगा और साथ ही निःशक्तता वाले ऐसे व्यक्ति से देय और शोध्य सब दावों का विवरण देगा।

- (2) प्रत्येक संरक्षक उक्त नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ती के पहले तीन माह की अवधि के भीतर अपने कब्जे में संपत्ति और परिसंपत्तियों का एक लेखा देगा, जिसमें निःशक्तता वाले व्यक्ति के कारण प्राप्त और वितरित राशियां और उसके पास बकाया का उल्लेख होगा।

17. संरक्षक को हटाना

1. जहां निःशक्त व्यक्ति के मां बाप या संबंधी या कोई पंजीकृत संगठन देखता है कि संरक्षक
(क) निःशक्तता वाले व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या उसकी अवहेलना कर रहा है; या
(ख) सम्पत्ति का गबन या उपेक्षा कर रहा है तो यह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समिति को ऐसे संरक्षक को हटाने के लिए आवेदन दे सकता है।
2. ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर समिति यदि सन्तुष्ट है कि हटाये जाने का आधार है और कारण लिखत में दर्ज किए जायेंगे, तो ऐसे संरक्षक को हटा सकती है और उसके स्थान पर एक नया संरक्षक नियुक्त कर सकती है या यदि ऐसा संरक्षक उपलब्ध नहीं है तो निःशक्तता वाले व्यक्ति की देखरेख और सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्थाएं करेगी जो जरूरी होगी।
3. उपधारा (2) के अन्तर्गत हटाया गया कोई व्यक्ति बाध्य होगा कि निःशक्तता वाले व्यक्ति की सब संपत्ति का चार्ज नए संरक्षक को दे और उसने जो राशियां प्राप्त या वितरित की हैं उनका लेख दे।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के प्रयोजन के लिए पद “संबंधी” में कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका निःशक्तता वाले व्यक्ति के साथ खून, विवाह या दत्तक ग्रहण का रिश्ता है।

अध्याय 7

जवाबदेही और मॉनीटरिंग (निगरानी करना)

18 जवाबदेही

1. बोर्ड के कब्जे में बहियाँ और प्रलेख किसी भी पंजीकृत संगठन द्वारा निरीक्षण के लिए खुले हैं।
2. कोई भी पंजीकृत संगठन बोर्ड को लिखित मांग पत्र भेजा सकता है कि बोर्ड द्वारा रखी जाने वाले किसी बही-खाता या प्रलेख की प्रति प्राप्त कर सके।
3. पंजीकृत संगठन को किसी बही या प्रलेख तक पहुंच की अनुमति देने के लिए बोर्ड ऐसे विनियम बना सकता है जैसा यह उचित समझता है।

19. निगरानी करना

बोर्ड विनियमों द्वारा पंजीकृत संगठनों के निधियन-पूर्व अवस्थिति का मूल्यांकन करने प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है

जो इससे वित्तीय सहायता मांग रही है और ऐसे विनियमों में पंजीकृत संगठनों की गतिविधियों की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए जो न्यास से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

20. वार्षिक आम सभा

1. बोर्ड प्रत्येक वर्ष में पंजीकृत संगठनों की वार्षिक आम सभा का आयोजन करेगा और एक वार्षिक आम सभा की तारीख और अगले वर्ष की आम सभा की तारीख में छः माह से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।
2. वार्षिक आम सभा की सूचना के साथ पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान लेखों का विवरण और इसकी गतिविधियों का रिकार्ड बोर्ड द्वारा प्रत्येक पंजीकृत संगठन को ऐसे समय पर भेजा जायेगा जैसा विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
3. ऐसी बैठक का कोरम पंजीकृत संगठनों के व्यक्तियों की ऐसी संख्या होगी जैसा विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अध्याय 8

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

21. **केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान**— केन्द्र सरकार इसके पक्ष में कानून द्वारा संसद द्वारा उचित विनियोग के बाद, न्यास को एक सौ करोड़ रुपये का एक बार योगदान एक कार्पस के लिए करेगी, जिसकी आय का प्रयोग इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

22. निधि—

1. एक निधि का गठन किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताओंग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास कहा जाएगा और उसमें क्रेडिट की जाएगी—
 - (क) केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले संवर्धन
 - (ख) अनुदानों, उपहारों, दानों, उपकारों, वसीयतों और अन्तर्गतों से न्यास को प्राप्त धनराशि
 - (ग) किसी अन्य तरीके से या अन्य स्रोत से न्यास द्वारा प्राप्त सब धन।
2. कोष से संबंधित धनराशि को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या ऐसे तरीके से पूंजी निवेश किया जाएगा जैसा समिति, केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, निर्णय लेगा।
3. कोष राशि को न्यास के प्रशासनिक और अन्य खर्चों को पूरा करने हेतु में प्रयुक्त किया जाएगा जिसमें इसकी शक्तियों के प्रयोग और बोर्ड द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन पर उपगत खर्च शामिल हैं जो खण्ड 10 के अन्तर्गत इसकी किसी गतिविधियों या उनसे संबंधन योग्य किसी चीज के लिए होंगे।

23. **बजट**—बोर्ड ऐसे प्रारूप में और प्रत्येक वित्त वर्ष में ऐसे समय पर, जैसा निर्धारित किया जाये अगले वित्त वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा जिसमें न्यास की अनुमानित प्राप्तियां और खर्चे दिखाए जाएंगे और उसे केन्द्र को भेजा जाएगा।
24. **लेखा और लेखा परीक्षण**
- (1) बोर्ड उचित लेखों और संबद्ध अभिलेखों को रखेगा और न्यास के लेखों के वार्षिक विवरण आय और व्यय लेखों सहित ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसा केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी और ऐसे सामान्य निर्देशों के अनुसार जिसे उस सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक—महालेखापरिक्षक के परामर्श से जारी किया जाएगा।
 - (2) न्यास के लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक द्वारा लेखा परीक्षण ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और उसके द्वारा इस लेखा परीक्षण के संबंध में उपगत किसी खर्चे को बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार को अदा किया जाएगा।
 - (3) भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक और न्यास की लेखा—परीक्षण के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में रखता है और विशेषतः उसे अधिकार होगा कि लेखा वहियों, संबंधित वाउचरों और अन्य प्रलेखों और कागजात को प्रस्तुत करने की मांग को और न्यास के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करे।
 - (4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक या उसके द्वारा इस दिशा में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित न्यास के लेखे और साथ ही उनपर लेखा परीक्षा रिपोर्ट को केन्द्र सरकार के पास हर वर्ष भेजा जाएगा और वह सरकार उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।
25. वार्षिक प्रतिवेदन—बोर्ड हर वर्ष ऐसे फार्म में, ऐसे समय के भीतर जैसा निर्धारित किया जाए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष में इसकी गतिविधियों का सच्चा और पूरा लेखा दिया जाएगा और उसकी प्रतियां केन्द्र सरकार को भेजी जाएंगी और वह सरकार उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।
26. आदेशो आदि को अधिप्रमाणित करना: बोर्ड के सब आदेश और निर्णय और न्यास के नाम में जारी प्रलेख अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी या इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे
27. विवरणियां और सूचना— बोर्ड केन्द्र सरकार को ऐसी प्रतिवेदन, विवरणियां और अन्य सूचना उपलब्ध कराएगा जो केन्द्र सरकार समय समय पर चाहेगी।

अध्याय 9

विविध

28 निर्देश जारी करने की केन्द्र सरकार की शक्ति —

1. इस अधिनियम की पूर्ववर्ती उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग या इसके कर्तव्यों निष्पादन में बोर्ड नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध रहेगा जैसा कि केन्द्र

सरकार समय समय पर लिखित रूप में देगी:

परन्तु यह कि बोर्ड को यथा व्यावहार्य, एक अवसर दिया जाना चाहिए कि अपने विचार व्यक्त कर सके, इससे पहले कि इस उपधारा के अन्तर्गत कोई निर्देश दिया जाता है।

(2) क्या यह नीति का प्रश्न है या नहीं है इस संबंध में केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

29 बोर्ड का अधिक्रमण करने की केन्द्र सरकार की शक्ति

1. यदि एक पंजीकृत संगठन की शिकायत पर केन्द्र सरकार या अन्यथा उसके पास यह विश्वास करने के कारण है कि बोर्ड काम करने के योग्य नहीं है या उसे सौंपे गए कर्तव्यों के निष्पादन में निन्तर चूक करता है तो केन्द्र सरकार बोर्ड को सूचना जारी कर सकती है और पूछ सकती है कि इसका अधिक्रमण क्यों न किया जाए;

परन्तु यह कि केन्द्र सरकार द्वारा बोर्ड को अधिक्रमण करने का कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि बोर्ड को उचित अवसर प्रदान करते हुए एक सूचना लिखित रूप में नहीं दी गई है कि उसे अधिक्रमण क्यों न किया जायेगा।

2. केन्द्र सरकार लिखित रूप में कारण रिकार्ड करने के बाद और सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके बोर्ड का एक अवधि के लिए अधिक्रमण करती है जो छः माह से अधिक नहीं होगी;

बशर्ते कि अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर केन्द्र सरकार धारा 3 के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन करेगी।

3. उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशित होने पर

(क) बोर्ड के सब सदस्य, इस बात का लिहाज किए बिना कि अधिक्रमण की तारीख को उनके पद की अवधि समाप्त नहीं हुई है वे ऐसे सदस्यों के रूप में कार्यालय खाली कर देंगे;

(ख) सब शक्तियों और कर्तव्यों जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या अन्तर्गत न्यास की ओर से प्रयुक्त या निष्पादित की जाएंगी, अधिक्रमण की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त और निष्पादित की जाएंगी जैसा कि केन्द्र सरकार निर्देशित करेगी।

4. उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचनायें में निर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर केन्द्र सरकार

(क) आगे और अवधि के लिए अधिक्रमण की अवधि को बढ़ा सकती है जैसा यह जरूरी समझे ताकि अधिक्रमण की कुल अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी; या

(ख) धारा 3 (1961 का 43) में बताए तरीके में बोर्ड का पुनर्गठन करें।

30 **आय पर कर से छूट**— आयकर अधिनियम, 1961 में या अन्य, लाभ और फायदे पर कर से संबंधित प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तत्समय प्रवृत्त होते हुए भी, न्यास आयकर या किसी अन्य प्रकार का उसकी व्युत्पन्न आय, लाभ या फायदे के बारे में आयकर या अन्य कर का भुगतान करने का दायी नहीं होगा

31 **सदभावना से की गई कार्रवाही के लिए सुरक्षा**— कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्र सरकार या न्यास या बोर्ड के किसी सदस्य या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या न्यास के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के या बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य निर्वहन के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी हानि या क्षति के लिए नहीं की जाएगी सदभावना से की गई किसी चीज से जिसके होने की संभावना हो सकती है (1860 का 15)

स्पष्टीकरण— इस खण्ड के उद्देश्य के लिए पद “सदभावना” का वही अर्थ होगा जो इसे भारतीय दंड संहिता (1860 का 15) में दिया गया है।

32 **न्यास के अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे**— न्यास के सब सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोकसेवक माना जाएगा जब इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं, या कार्य करना तात्पर्यित है।

33. **प्रत्यायोजन**—बोर्ड, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित में, न्यास के अध्यक्ष या न्यास के किसी सदस्य या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट होगा इस अधिनियम के अन्तर्गत अपनी शक्तियों में से ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करेगा जैसा यह जरूरी समझेगा। (धारा 35 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय)

34 **नियम बनाने की शक्ति**—

1. केन्द्र सरकार, राज पत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
2. विशेषतः और पूर्वागामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों के सब के लिए व्यवस्था करेंगे, यानी
 - (क) प्रक्रिया जिसके अनुसार पंजीकृत संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति धारा 3 की उपधारा 4 के खंड (ख) के अन्तर्गत चुन जायेंगे;
 - (ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें;
 - (ग) धारा 4 की उपधारा खण्ड (6) के अन्तर्गत बोर्ड की बैठकों में कारबार की संचयवहार में प्रक्रिया के नियम;
 - (घ) धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मुख्यकार्य पालक शक्तियां और कर्तव्य;
 - (ङ) फार्म जिसमें एक पंजीकृत संगठन संरक्षकता के लिए आवेदन धारा 14 की उपधारा (2) के अन्तर्गत करेगा ;
 - (च) प्रक्रिया जिसके अनुसार धारा 17 के अन्तर्गत संरक्षक को हटाया जा सके।
 - (छ) फार्म जिसमें और अवधि जिसके भीतर न्यास का बजट धारा 23 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को अग्रेषित किया जायेगा।

- (ज) फार्म जिसमें लेखों का वार्षिक विवरण खण्ड 24 के उपखंड (1) के अन्तर्गत रखा जाएगा;
- (झ) फार्म जिसमें और समय जिसके भीतर, वार्षिक रिपोर्ट धारा 25 के अन्तर्गत तैयारी की जायेगी और भेजी जायेगी।
- (त) कोई भी अन्य मामला जिसे निर्धारित करना अपेक्षित है या निर्धारित किया जायेगा।

35. विनियम बनाने की शक्ति

1. बोर्ड, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनियम बनाएगा जो इस अधिनियम और नियमों के संगत होंगे और सामान्यतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को निष्पादित करेंगे।
2. विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्न मामलों सब के लिए या किसी के लिए व्यवस्था करेंगे, यानी
 - (क) तरीका और प्रयोजन जिसके लिए धारा 3 की उपधारा (5) के अन्तर्गत व्यक्ति को संबद्ध किया जायेगा।
 - (ख) समय और स्थान जहां धारा 4 की उपधारा (6) के अन्तर्गत बोर्ड की बैठक होगी;
 - (ग) धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें :
 - (घ) फार्म और तरीका जिसमें धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन दिया जाएगा और ब्योरे जो उपखण्ड 19 के अन्तर्गत ऐसे आवेदन में अन्तर्विष्ट होंगे।
 - (ङ) तरीका जिसमें संरक्षकता के लिए आवेदन धारा 4 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्थानीय स्तर समिति द्वारा प्राप्त संसाधित और निर्णीत किया जाएगा।
 - (च) आवेदनों के और उन पर धारा 14 की उपधारा (5) के अंतर्गत स्थानीय स्तर समिति द्वारा पारित आदेशों के ब्योरे;
 - (छ) पंजीकृत संगठनों की निधियन पूर्व अवस्थिति के मूल्यांकन की प्रक्रिया और धारा 19 के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत संगठनों के कार्यकलापों को निगरानी और मूल्यांकित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना:
 - (ज) समय जिसके भीतर वार्षिक आम सभा के लिए सूचना मांगी जाएगी और ऐसी बैठक के लिए धारा 20 की उपधारा (2) और (3) के अन्तर्गत कोरम; और
 - (झ) कोई अन्य मामला जिसे विनियमों द्वारा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है और उपलब्ध कराया जायेगा।

36 **संसद के समक्ष रखे जाने वाले नियम और अधिनियम**— इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम और अधिनियम, इसके बनाये जाने के तत्काल बाद संसद के प्रत्येक सदन के सामने ले जाया जाएगा, जब यह 30 दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में होगी जो एक सत्र में या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में शामिल होगी और यदि, सत्र या उक्त उत्तरोत्तर सत्रों के तत्काल बाद सत्र के समापन से पहले दोनों सदन नियम या विनियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि नियम या विनियम न बनाए जायें इसलिए नियम या विनियम ऐसे संशोधित रूप में ही प्रभाव रखेंगे या किसी प्रभाव के नहीं होंगे, जैसी भी स्थिति हो; अतः तथापि ऐसा उपांतरण या बातिल किया जाना उस नियम या विनियम के अन्तर्गत पहले कुछ भी किए की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम,
2000

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2000

जी एस आर 639 (ई)— स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 (1999 का 4) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभण**— (1) इन नियमों को स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहुत निःशक्तताओं वाले लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास नियम, 2000 कहा जाएगा।
(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से वे लागू हो जायेंगे।
2. **परिभाषाएं**— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो
(क) “अधिनियम” का अर्थ है स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहुत निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 (1999 का 44);
(ख) “फॉर्म” का अर्थ फॉर्म से है जो इन नियमों के साथ संलग्न किया गया है;
(ग) “राज्य स्तर एजेन्सी” का अर्थ है राज्य प्राधिकारण या समिति जिसे बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत गठित किया गया है;
(घ) “वर्ष” का अर्थ है वित्तीय वर्ष जो अप्रैल के पहले दिन से आरंभ होकर अगले मार्च के 31 तारीख को समाप्त होता है;
(ङ) “इसके प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए गए शब्द और पद लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों को क्रमशः वही अर्थ दिया जाएगा जो अधिनियम में हैं।
3. **सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया**—
 1. केन्द्र सरकार बोर्ड पर सदस्यों के रूप में पंजीकृत संगठनों में से नौ व्यक्तियों को नामित करके आरंभिक नियुक्ति करेगी, इन में से तीन तीन सदस्य स्वैच्छिक संगठनों, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के मां बाप में से और निःशक्त व्यक्तियों के संघ से तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किए जायेंगे।
 2. पंजीकृत संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ सदस्यों की पदावधि समाप्त होने से तीन माह पहले, बोर्ड अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत इसके पास पंजीकृत संगठनों में से नामांकन आमंत्रित करेगा।
 3. इन नौ सदस्यों की पदावधि के पूरा होने पर उत्पन्न रिक्तियों को निम्न पंजीकृत संगठनों में वितरित किया जाएगा (क) एक स्वैच्छिक संगठनों

- (ख) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के संघ (ग) निःशक्तता वाले व्यक्तियों के संघ में से प्रत्येक में तीन-तीन सदस्य इस तरीके से लिए जायेंगे कि खण्ड (ए) के अन्तर्गत तीन स्वैच्छिक संगठनों में, एक मानसिक मन्दता के क्षेत्र में; एक स्वपरायणता के क्षेत्र में और एक प्रमस्तिष्क घात के क्षेत्र में काम करने वाला होगा; निःशक्तता वाले व्यक्तियों के मां-बाप तीन संघों में खण्ड (बी) के अंतर्गत मानसिक मन्दता, स्वपरायणता, और बहु-निःशक्तता वाले व्यक्तियों के तीन प्रतिनिधिक संघों में से एक प्रमस्तिष्क घात के क्षेत्र से और दो बहु- निःशक्तताओं के क्षेत्र से होंगे।
- (4) जहां बोर्ड द्वारा प्राप्त नामांकनों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक होती है वहां बोर्ड रिक्तियों के लिए डाक मत पत्र से चुनाव करेगा।
- (5) जहां उपनियम (2) में निर्धारित पंजीकृत संगठन को प्रतिनिधित्व करने वाली किसी कोटि के लिए नामांकन प्राप्त नहीं होता, वहां बोर्ड दत्त रिक्त के लिए नामांकन द्वारा नियुक्त करेगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें

4. **वेतन**—अध्यक्ष का वेतन भारत सरकार के सचिव के मूल वेतन के बराबर होगा और यथा अनुज्ञेय महंगाई भत्ता और नगर प्रतिभूति भत्ता होगा।

परन्तु जहां अध्यक्ष केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ क्षेत्र प्रशासन या अर्द्ध-सरकारी निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या एक मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अन्य स्वायत्त या सांविधिया निकाय से सेवानिवृत्त व्यक्ति है तो देय वेतन और पेंशन या सोवन्त असुविधाओं का पेंशनी मान या उसके द्वारा प्राप्त दोनों भारत सरकार के सचिव के मूल वेतन से अधिक नहीं होंगे।

5. महंगाई भत्ता और यात्रा भत्ता—

1. अध्यक्ष नियमानुसार दैनिक भत्ते, नगर प्रतिपूर्ति भत्ते, यात्रा भत्ते का हकदार होगा भारत सरकार के सचिव के लिए लागू होते हैं।
2. गैर-सरकारी सदस्य बोर्ड की बैठक के प्रतिदिन के लिए 500 रुपये का बैठना शुल्क प्राप्त करने के पात्र होंगे और बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार उन्हें यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा।

6. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

1. अध्यक्ष बोर्ड के बैठकें बुलाने और उनकी अध्यक्षता करने के लिए जिम्मेदार होगा।
2. अध्यक्ष बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखेगा कि किसी मामले के बारे में उसके सुझावों पर विचार करें पर इसके द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है या किसी मामले के बारे में जिसे केन्द्र सरकार चाहती है कि बोर्ड विचार करे।
3. अध्यक्ष न्यास के उचित प्रकार्य के लिए जिम्मेदार है इसमें स्थानीय स्तर समितियां भी शामिल हैं और न्यास की नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
4. अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करने के निर्देश दे सकता है

बोर्ड की बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए क्रियाविधि नियम

7. सदस्यता रोल

1. सदस्य सचिव सदस्यों के नाम और पतों का रिकार्ड रखेगा।
2. यदि कोई सदस्य अपना पता बदलता है तो वह सदस्य सचिव को नये पते की सूचना देगा जो उसपर उसका नया पता सरकारी रिकार्ड में दर्ज करेगा और यदि वह अपने नये पते के बारे में सूचना देने में विफल होता है तो सरकारी रिकार्ड में उसके पते को सब प्रयोजनों के लिए उसका सही पता माना जायेगा।

8. बैठक की सूचना—

1. बोर्ड की बैठकों का आयोजन सामान्यतः न्यास मुख्यालय में ऐसी तारीखों को किया जायेगा जिसे अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
2. सदस्यों की लिखित अनुरोध पर, जिनकी संख्या बोर्ड के पांच सदस्यों से कम नहीं होगी, अध्यक्ष बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकता है।
3. सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को सामान्य बैठक के लिए पंद्रह पूर्ण दिनों और विशेष बैठक के लिए पांच पूर्ण दिन की सूचना दी जाएगी और समय और स्थान बताया जाएगा जहां बैठक का आयोजन किया जाएगा और फिर किये जाने वाले कार्य की भी जानकारी दी जाएगी।
4. बैठक की सूचना सदस्यों को संदेशवाहक द्वारा या उसके अंतिम ज्ञात आवास या व्यापार के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा या ऐसे तरीके से दी जाएगी जैसा मामले की परिस्थितियों में अध्यक्ष उचित समझता है या इलैक्ट्रॉनिक-मेल द्वारा दी जाएगी।
5. कोई भी सदस्य बैठक में विचार के लिए कोई मामला उठाने के लिए पात्र नहीं होगा जिसके लिए उसने सदस्य सचिव को दस पूर्ण दिनों की सूचना न दी हो जब तक कि अध्यक्ष, अपने विवेकानुसार उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता।
6. बोर्ड अपनी बैठकों को दिन प्रतिदिन या किसी विशेष दिन के लिए स्थापित कर सकता है।
7. जब दिन प्रतिदिन से बोर्ड की बैठक स्थगित की जाती है तो ऐसी स्थगित बैठक की सूचना स्थान पर उपलब्ध सदस्यों को दी जाएगी जहां एक संदेशवाहक द्वारा स्थापित की गई थी और दूसरे सदस्यों को बैठक स्थापित करने की सूचना देना जरूरी नहीं है।
8. जब बोर्ड की एक बैठक का स्थान दिन प्रतिदिन नहीं किया गया है बल्कि जिस दिन बैठक आयोजित होनी है उससे एक अन्य तारीख के लिए तो ऐसी बैठक की सूचना इस नियम के उपनियम (4) में यथा उपबंधित सब सदस्यों को दी जाएगी,

9. **पीठासीन अधिकारी** — अध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में मौजूद सदस्य एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे।

10. कोरम (गणपूर्ति)—

1. कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्य किसी बैठक के लिए कोरम बनेंगे।
2. यदि बैठक के लिए निर्धारित किसी समय या बैठक के अनुक्रम में कुल सदस्यों के एक तिहाई से कम सदस्य मौजूद है तो अध्यक्ष बैठक को अगले दिन या किसी अन्य भावी तारीख को ऐसे घंटों में निर्धारित करेगा।
3. स्थगित बैठक के लिए किसी कोरम की जरूरत नहीं होगी।
4. कोई मामला जो सामान्य या विशेष बैठक की कार्यसूची में नहीं था, जैसी भी स्थिति हो, उस पर स्थगित बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी।
5. (i) जहां उप-नियम (2) के अन्तर्गत बोर्ड की बैठक को कोरम के अभाव में अगले दिन के लिए स्थगित किया गया है तो ऐसी स्थगित बैठक के आयोजन की सूचना उस स्थान पर उपलब्ध सदस्यों को संदेशवाहक द्वारा दी जाएगी और यह जरूरी नहीं है कि स्थगित बैठक की सूचना अन्य सदस्यों को दी जाये।
(ii) जहां कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक उप-नियम (2) के अन्तर्गत अगली तारीख के लिए स्थगित की गई है और उसमें अन्तर है तो ऐसी स्थगित बैठक की सूचना सब सदस्यों को दी जाएगी।

11. कार्यवृत्त (मिनट)—

- (1) बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम और कार्यवाहियों का रिकार्ड एक पुस्तक में रखा जाएगा सदस्य सचिव द्वारा उस प्रयोजन के लिए रखा जाएगा।
- (2) बैठक के कार्यवृत्त को सब संबंधित व्यक्तियों को परिपत्रित किया जाएगा।
- (3) प्रत्येक उत्तरवर्ती बैठक के आरंभ में पिछली बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ा जाएगा और उसकी पुष्टि की जाएगी और पीठासीन अधिकारी द्वारा उस पर ऐसी बैठक में हस्ताक्षर किए जायेंगे।
- (4) सदस्य-सचिव के कार्यालय में कार्य घंटों के दौरान ये कार्यवाहियां किसी सदस्य के निरीक्षण के लिए खुली होंगी।

12. बैठक में व्यवस्था बनाए रखना—पीठासीन अधिकारी बैठक में व्यवस्था बनाए रखेगा।

13. बैठक में किए जाने वाला कार्य—

- (1) पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना किसी कार्य को, जो कार्यसूची में दर्ज नहीं है या नियम 8 के उपनियम (3) के अन्तर्गत किसी सदस्य में अग्रिम में सूचना नहीं दी है, बैठक में नहीं दिया जाएगा।
- (2) किसी बैठक में कार्य उसी क्रम में दिया जाएगा जिस क्रम में वह कार्यसूची में दर्ज है जब तक कि अन्यथा पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा से बैठक में निर्णय न लिया गया हो।

- (3) बैठक के आरंभ में या बैठक के दौरान प्रस्ताव पर चर्चा के अन्त के बाद, पीठीसीन अधिकारी या कोई सदस्य कार्यसूची में दर्ज कार्य के क्रम में परिवर्तन का सुझाव दे सकता है और यदि अध्यक्ष सहमत होता है तो ऐसा परिवर्तन किया जायेगा

14. बहुमत से निर्णय— किसी बैठक में विचार किए गए सब प्रश्नों पर निर्णय मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के वोटों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और वोट बराबर रहने कि स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, दूसरा और निर्णायक मत रखेगा।

15 मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद की नियुक्ति केंद्र सरकार की केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के माध्यम से की जाएगी, परन्तु यह कि निःशक्तता पुनर्वास बहाली, प्रशासनिक योग्यता और अन्य ऐसी शर्तों को ध्यान में रखा जाएगा जिन्हें केंद्र सरकार उपयुक्त समझे।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक का होगा और वह वेतन प्राप्त करेगा और फायदों का उपभोग करेगा जिनका उपभोग केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा किया जाता है।
3. बोर्ड के सामान्य नियन्त्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विभाग अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा। (24 दिसंबर 2010 के संसोधन के द्वारा नियम (3) हटा दिया गया है और नियम 4 को नियम 3 के रूप में पुनः व्यवस्थित किया गया है)
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी न्यास की प्रबन्ध-व्यवस्था का प्रभारी होगा और न्यास के मामलो के बारे में एंसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी अध्यक्ष द्वारा समय समय पर उसे प्रत्यायोजित की जायेगी।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय के प्रशासनिक नियन्त्रण और प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे अन्य कर्तव्य करेगा जैसा बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जाएगा।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी न्यास के उपयुक्त लेखे रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
7. सब संविदाओं का निष्पादन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बोर्ड के परामर्श से समय समय पर बोर्ड बनाए विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
8. बोर्ड के सदस्य-सचिव के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड की बैठकों और उससे उत्पन्न कामकाज के संबंध में सब रिकार्ड रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

16 संरक्षकता के लिए आवेदन

1. एक मां-बाप, संबंधी या पंजीकृत संगठन द्वारा किसी निःशक्त व्यक्ति के लिए संरक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन स्थानीय स्तर समिति को फार्म 'ए' में किया जाएगा।
2. ऐसे आवेदनों पर संरक्षक की नियुक्ति की पुष्टि फार्म 'बी' में की जाएगी

- 3 फार्मेट में निर्धारित एक त्रैमासिक रिपोर्ट स्थानीय स्तर समिति द्वारा बोर्ड को या बोर्ड द्वारा अधिकृत राज्य स्तर समिती को दी जाएगी जिसमें प्राप्त आवेदनों के ब्यौरे और उन पर दिए आदेशों का ब्यौरा दिया जाएगा।

17 संरक्षक को हटाने की प्रक्रिया—

- 1 (i) किसी मां-बाप या संबंधी या निःशक्त व्यक्ति या पंजीकृत संगठन से इस अधिनियम की धारा 17 के उपखण्ड (1) धारा (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट आधारों पर संरक्षक को हटाने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर समिति जांचकर्त्ताओं की एक टीम नियुक्त करेगी जिसमें तीन व्यक्तियों से कम व्यक्ति नहीं होंगे।
- (ii) टीम में मां-बाप संगठन का प्रतिनिधि, निःशक्त के लिए संघ का एक प्रतिनिधि और अशक्तता से संबंधित एक सरकारी अधिकारी शामिल होगा जो सहायक निदेशक से नीचे रैंक का नहीं होगा
- (iii) संरक्षक की नियुक्ति पर निर्णय लेते समय, स्थानीय स्तर समिति सुनिश्चित करेगी कि संरक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए जिस व्यक्ति के नाम का सुझाव दिया गया है वह:
- (क) भारत का एक नागरिक है;
- (ख) विकृत चित्त नहीं है या मानसिक रोग के लिए इस समय उपचार नहीं करा रहा है;
- (ग) आपराधिक दोषसिद्धि का इतिवृत नहीं रखता;
- (घ) दीनहीन नहीं है और अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी अन्य पर आश्रित नहीं है; और
- (ङ) उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
- (iv) यदि संरक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए स्थानीय स्तर समिति द्वारा एक संस्थान या संगठन पर विचार किया जा रहा है जो निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- (क) संस्थान के राज्य या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए;
- (ख) निःशक्तता पुनर्वास सेवाओं को प्रस्तुत करने और निःशक्त व्यक्तियों की कोटि 'सी' के अपने आवासीय सुविधाओं या होस्टल में बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थल, स्टाफ, फर्नीचर, पुनर्वास और चिकित्सा सुविधाओं का न्यूनतम स्तर बनाए रखा जाएगा।
- (ग) निःशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा या होस्टल में बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थल, स्टाफ, फर्नीचर, पुनर्वास और चिकित्सा सुविधाओं का न्यूनतम स्तर बनाए रखा जाएगा।
- (v) निःशक्त व्यक्ति की अवहेलना या दुर्व्यवहार के मूल्यांकन करने के लिए किसी शिकायत की जांच करते समय जांचकर्त्ताओं की टीम बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेगी।
- (vi) कृत्य या अकृत्य के निम्नलिखित कार्य संरक्षक की ओर से दुरुपयोग या अवहेलना का स्थापित करेंगे, यानी—

- (क) निःशक्त व्यक्ति को किसी कमरे में लंबी अवधि के लिए अकेले कैद करना;
 - (ख) निःशक्त व्यक्ति को जंजीर से बांधना;
 - (ग) निःशक्त व्यक्ति को मारना या ऐसा व्यवहार करना कि खरोंचे हो, त्वचा या ऊतक की क्षति हो जाए (निःशक्त व्यक्ति द्वारा किए गए उसके हानिकारक बर्ताव के कारण नहीं)
 - (घ) यौन उत्पीड़न
 - (ङ) शारीरिक जरूरतों से लंबे समय तक वंचित रखना, जैसे पानी, खाना और वस्त्र;
 - (च) पुनर्वास या प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कोई व्यवस्था नहीं या आकलन जैसा कि निःशक्त पुनर्वास में विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया गया है;
 - (छ) निःशक्त व्यक्ति की संपत्ति में हेराफेरी या गलत प्रयोग और
 - (ज) निःशक्त व्यक्तियों की प्रशिक्षण या प्रबन्ध व्यवस्था जरूरतों को पूरा करने के लिए और पर्याप्त कर्मचारियों की कोई व्यवस्था नहीं है या सुविधाओं का अभाव है।
- (2) जांचकताओं की टीम दस दिनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
 - (3) जांच टीम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर समिति संरक्षक को हटाने के बारे में उक्त संरक्षक को सुने जाने का अवसर देने के बाद दस दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेगी जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी।
 - (4) संरक्षक को हटाने या आवेदन रद्द करने के लिए स्थानीय स्तर समिति कारणों को लिखित में दर्ज करेगी

18 फॉर्म जिसमें न्यास स्तर के बजट को केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

- 1) न्यास का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अगले वित्त वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा और बोर्ड को 31 जुलाई तक प्रस्तुत करेगा
- 2) बोर्ड अपनी वार्षिक बैठक में 20 सितम्बर तक बजट प्राकलनों का अनुमोदन करेगा।
- 3) बोर्ड के संप्रक्षकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बजट प्राकलनों का संशोधन किया जाएगा।
- 4) विधिवत् अनुमोदित बजट प्राकलनों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार को हर वर्ष 30 सितम्बर तक भेजा जाएगा।

19 निधियां बनाए रखना, लेखों का प्रचालन और लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करना

- (1) न्यास की निधियों को एक राष्ट्रीकृत बैंक में जमा कराया जाएगा और बोर्ड द्वारा नामित तीन हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से किसी दो के द्वारा प्रचालित किया जायेगा, उन तीन में से एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा

- (2) न्यास उपयुक्त लेखे और अन्य संबंधित रिकार्ड रखेगा और आय और व्यय, प्राप्ति और भुगतानों और तुलना पत्र सहित लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।
- (3) न्यास के लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं मताधिकार द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जिसे उसके द्वारा निर्धारित किया जायेगा और ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में उपगत कोई खर्च बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को देय होंगे।
- (4) भारत के नियंत्रक और महालेखाकार और न्यास के लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा कि नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के बारे में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार सरकारी लेखा की लेखा परीक्षा में रखता है और विशेषतः लेखा पुस्तकों, संबंधित वाचचरों और प्रलेखों और कागजात का प्रस्तुत करने की मांग और न्यास के कार्यालयों के निरीक्षण का अधिकार होगा।
- (5) न्यास के लेखे जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक इसकी ओर से कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित और साथ ही उसपर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को हर वर्ष 31 दिसम्बर तक केन्द्र सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और वह सरकार उसे संसद के प्रत्येक सदन के सामने रखवाएगी।

20 विनियोग और पुनर्विनियोग – बोर्ड के अनुमोदन से कार्यकारी अधिकारी को अधिकार होगा कि एक प्राथमिक या द्वितीयक यूनिट से दूसरे के लिए वैद्य कारणों से, निधियों का विनियोग या पुनर्विनियोग कर सके और बोर्ड की अगली बैठक में उसका अनुसमर्थन कराये।

21 पूंजी निवेश-

- 1 न्यास का निधियों का निवेश अल्पावधि या दीर्घावधि निक्षेपों में कराया जाए ताकि यदि साध्य हो तो बेहतर आमदनी दे सकें, ऐसा न्यास के व्ययन पर पर्याप्त बकाया रखा जाए या ऐसे तरीके से जैसा कि बोर्ड प्राधिकृत करें।
- 2 न्यास द्वारा रखी गयी प्रतिभूतियों का एक रजिस्टर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।
- 3 न्यास की निधियों के सब पूंजीनिवेश न्यास के नाम पर किए जायेंगे और ऐसे पूंजी निवेश के सब क्रयों, विक्रयों या परिवर्तनों को किया जाएगा और न्याय के पूंजीनिवेशों के क्रय, विक्रय या परिवर्तन के लिए जरूरी सब संविदाएं, अन्तरण लिखते और अन्य प्रलेख बोर्ड के अनुमोदन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।
- 4 प्राप्तियों और प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कि व्यक्तिगत प्रभार में रहेगी और उसकी अभिरक्षा में प्रतिभूतियों के रजिस्टर के साथ छः माह में एक बार सत्यापन किया जाएगा और प्रत्येक सत्यापन के बाद ऐसे सत्यापन का प्रमाण पत्र रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।
- 5 बोर्ड के अनुमोदन के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सब करारों, संविदाओं, हस्तांतरण की अन्तरण लिखतों और न्यास के संबंध में अन्य प्रलेखों पर, न्यास द्वारा नियुक्तज विधि सलाहकारों की सलाह और परामर्श से, हस्ताक्षर करेगा और निष्पादित करेगा।

6 न्यास की निधियों और धन को न्यास निवेश और निपटान करेगा और उसे अधिकार होगा कि

- (i) उक्त उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए धन और निधियों की अपील जारी करे और अनुप्रयोग करे और उपहारों, दान, चन्दों या अन्यथा नकदी और प्रतिभूतियों और किसी चल संपत्ति द्वारा निधियां जुटाये या एकत्र करे;
- (ii) अर्जित, क्रय करे या अन्यथा किसी चल या अचल संपत्ति का मालिक बने, पट्टे पर तो या अस्थायी रूप से किराए पर ले, किसी चल या अचल संपत्ति को स्थायी रूप से खरीदे जो न्यास के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जरूरी या सुविधाजनक है;
- (iii) प्रतिभूति के साथ या बिना या बंधक चार्ज की प्रतिभूति पर या प्रतिभूति आदमान या न्यास की मलकीयत की सब चल और अचल संपत्तियों को गिरवी रखना या किसी अन्य तरीके से, जो भी हो, बशर्ते कि इसके लिए केंद्र सरकार का लिखित पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
- (iv) न्यास के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए, न्यास की चल या अचल संपत्ति को बेचने, सौंपने, गिरवी रखने, पट्टे पर देने, बदलने या अन्यथा अंतरण करने या निपटाने के लिए केंद्र सरकार का लिखित में पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा ताकि अचल संपत्ति का अन्तरण किया जा सके;
- (v) किसी सरकार या प्राधिकरण, म्यूनिसिपल, स्थानीय के साथ करार करना अन्यथा ऐसी सरकार का प्राधिकरण से कोई अधिकार, विशेषाधिकार रियायतों, वैश्वसिक या अन्यथा प्राप्त करना कि न्यास जरूरी समझे कि ऐसी व्यवस्थाओं, अधिकारों, विशेषाधिकारों और रियायतों को प्राप्त करे, निष्पादित करे, अभ्यास करे और पालन करे;
- (vi) प्राप्त करना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठाकित करना, छूट देना, निष्पादित करना, विनयक पर हस्ताक्षर करना और अन्यथा चैकों, हुण्डियों, ड्राटों, प्रमाण पत्रों, प्राप्तियों, सरकारी प्रातिभूतियों, आमेसरी नोटों, विनियम पत्रों या अन्य लिखतों, प्रतिभूतियों का निपटान करना चाहे परक्राम्य या अनंतरणीय है या नहीं;
- (vii) न्यास के प्रयोजन के लिए जरूरी या सुविधाजनक किसी भवन या संकर्म को बनाना, निर्माण करना, देखभाल, मरम्मत, बदलाव, सुधार, विकास करना या साज समान से सज्जित करना;
- (viii) न्यास के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी विन्यास या न्यास निधि की प्रबन्ध व्यवस्था स्वीकार करना और हाथ में लेना था लेकिन ऐसा होने पर भी इसमें अचल संपत्ति अपवर्जित रहेगी।
- (ix) न्यास के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और अन्य लाभ स्थापित करना बशर्ते कि इसके लिए केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है;
- (xi) न्यास के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए इनाम, पुरस्कार, छात्रवृत्तियां, फैलोशिप और वृत्तिका संस्थित, प्रस्तुत या प्रदान करना;
- (xii) अनुदान, दान और अन्य अंशदान स्वीकार करना और प्राप्त करना, लेकिन

अचल संपत्ति नहीं

7. इस अधिनियम की धारा (1) की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिये किसी व्यक्ति द्वारा चल संपत्ति वसीसत से दम देने की स्थिति में, वसीयतों, दान और संपत्ति वसीयत में देने वाले व्यक्तियों से इस बारे में किए करार के आधार पर न्यास के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को विशेष बर्ताव दिए जाने के बारे में बोर्ड निर्धारित करेगा)

22 संपत्ति का व्यवस्थापन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड के अनुमोदन से, एक निराकरण बोर्ड बनाएगा ताकि अप्रसारणीय और अन्य वस्तुओं का निपटान किया जाये और अन्य वस्तुओं को और सब सेवा-अयोग्य वस्तुओं और कंडम वस्तुओं बट्टेखाते में डाला जाए।

23 निधि आरेखण

- 1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यय के ऊपर नजर रखेगा और स्वीकृत अनुदान के भीतर भुगतानों की मंजूरी देगा और न्यास द्वारा उसको प्रत्यायोजित शक्तियों के बाहर नहीं जायेगा।
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सहायता के लिए अधिकारी होंगे जिन्हे न्यास द्वारा इसके लिए बनाये गए वित्तीय विनियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत किया गया है।
- 3 व्यय को पूरा करने के लिए बैंक से चैक द्वारा निधियां प्राप्त की जाएंगी
- 4 चैक बुक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की या किसी अन्य अधिकारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में होगी जिन्हे इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्राधिकृत किया है।
- 5 आय और व्यय के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता लेखा अधिकारी और लेखा पाल द्वारा की जाएगी जो प्रोफार्मा लेखा रखेंगे और वेतन और भत्तों, यात्रा भत्तों और आकस्मिक खर्च के बारे में सब दावे विनिर्दिष्ट फार्मों में प्रस्तुत करेंगे और उस पर प्रति हस्ताक्षर किए जायेगे इससे पहले कि उन्हें डिमांड ड्राटों, चैकों या नकदी के माध्यम से, जैसी भी स्थिति हो भुगतान के लिए पास किया जाएगा
- 6 लेखा-अधिकार या लेखा पाल न्यास की निधियों से सब भुगतानों पर पूर्व-लेखा परीक्षा के स्वरूप की जांच करेंगे।

24 कार्यालय आवास किराये पर लेना

- (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास अधिकार है कि बोर्ड के अनुमोदन के साथ कार्यालय परिसर के लिए जब भी जरूरी हो किराये पर ऐसी दरों पर प्राप्त कर सकें, जो वैसे ही प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं और ऐसे निर्धारित दरों के अभाव में; केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर सकें।
- (2) अध्यक्ष, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, अधिकार रखता है कि न्यास के कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास किराये पर ले या खरीद ले यदि आवास के केन्द्रीय पुल के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं।

- (3) अध्यक्ष या न्यास के कर्मचारियों के लिए आवास किराये पर लेने, खरदीने या वैकल्पिक नहीं की जाती तो उन्हें मकान किराया भत्ता दिया जाये जो केन्द्र सरकार के अधीन तदनुसूची वेतनमानों के पद धारित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुमत्त है। (जी एस आर 20, यह दिनांक 8 मार्च 2002 द्वारा संशोधित)

25 रजिस्टर रखना—न्यास द्वारा निम्नलिखित बहियां और रजिस्टर रखें जायेंगे, यानी

- (1) अनुदानों का रजिस्टर
- (2) परिसंपत्तियों का रजिस्टर
- (3) पक्षकारों से वसूलीय बकाया राशियों का रजिस्टर जो न्यास के कर्मचारी नहीं है।
- (4) ऋण और अग्रिम रजिस्टर कर्मचारियों को दिए गए, वसूली स्थिति के साथ
- (5) किरायों का रजिस्टर
- (6) चैक बुकों का रजिस्टर
- (7) रसीद बुकों का रजिस्टर
- (8) स्वीकृत पदों का रजिस्टर स्वीकृति के प्राधिकार सहित
- (9) सामान्य भविष्य निधि लेखे, लेजर और तुलना पत्र
- (10) सेवा पुस्तकें
- (11) चयन समिति की कार्यवाहियों का रजिस्टर
- (12) पुस्तकालय पुस्तक का रजिस्टर
- (13) निस्तारण पंजी और आवधिक वेतन वृद्धियों का रजिस्टर
- (14) कैश बुक्स और ब्याज कैश बुक्स
- (15) बैंक मिलान रजिस्टर (कैश बुक्स के साथ रखा जाएगा)
- (16) व्यय के नियंत्रण के लिए खाता
- (17) यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता रजिस्टर
- (18) वेतन बिल रजिस्टर
- (19) आकस्मिक बिल रजिस्टर
- (20) ईंधन लेखा रजिस्टर
- (21) स्टाम्प लेखा रजिस्टर
- (22) स्टाक रजिस्टर
- (23) स्टेशनरी (लेखक—सामग्री) रजिस्टर
- (24) बिल नियंत्रण रजिस्टर
- (25) प्रतिभूतियों की रजिस्टर
- (26) विविध व्यय रजिस्टर, और

(27) हिताधिकारियों का रजिस्टर फोटोग्राफो सहित

26 वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करना—

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वित्त वर्ष के समाप्त होने के बाद यथासंभव शीघ्र लेकिन अगले वित्त वर्ष के सितम्बर के 30वें दिन के बाद नहीं सुनिश्चित करेगा ताकि एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है? और केन्द्र सरकार को भेजी जाती है जिसमें उक्त वित्त वर्ष के दौरान न्यास की गतिविधियों का पूरा लेखा दिया जाएगा।
2. उप-नियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित मामलों के बारे में विशेष रूप में सूचना होगी, अर्थात्—
 - (क) न्यास के सदस्यों, अधिकारियों कर्मचारियों के नाम और संगठनात्मक ढांचे को दर्शाता एक चार्ट;
 - (ख) न्यास के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए की गई गतिविधियों में प्रत्येक के बारे में न्यास के अनुपालन पर बल देना;
 - (ग) न्यास द्वारा हाथ में लिये गये विभिन्न कार्यक्रमों, स्थानीय स्तर समितियों के कार्य सहित के क्रियान्वयन में की गई प्रगति;
 - (घ) कोई भी अन्य मामला जिसे शामिल करना न्यास जरूरी समझे, या केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया गया हो।

27. विविध

1. वार्ड की संपत्ति को शामिल करने वाली विवरणी संरक्षक द्वारा उसकी नियुक्ति के 6 माह के भीतर फार्म 'सी' में प्रस्तुत की जाएगी।
2. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति की तीन माह की अवधि के भीतर संरक्षक द्वारा संपत्ति और परिसंपत्तियों के लेखे फार्म 'डी' में तैयार किए जायेंगे।
3. एक स्वैच्छिक संगठन या मां-बाप के संघ या अशक्त व्यक्तियों के संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म 'ई' में दिया जाएगा।
4. स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताओं के क्षेत्र में कार्यरत कोई संगठन जो सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) और कंपनीज अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत पहले से पंजीकृत है या एक लोक पूर्व न्यास है तो उसके लिए अलग मान्यता की जरूरत नहीं है।
5. न्यास के साथ ऐसे संगठनों का पंजीकरण जरूरी होगा ताकि न्यास के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकें और बोर्ड का निर्णय प्राप्त कर सकें।

फॉर्म-ए

(नियम 16 (1) देखें)

निःशक्त व्यक्ति के लिए संरक्षक की नियुक्ति
के लिए मां-बाप, संबंधी या एक पंजीकृत संगठन
द्वारा स्थानीय स्तर समिति को आवेदन का फार्म

सेवा में

दिनांक:

स्थानीय स्तर समिति
महोदय / महोदया

..... एक निःशक्त व्यक्ति है और एक संरक्षक के माध्यम से अपने व्यक्तित्व और संपत्ति की सुरक्षा चाहता है। हम एतद् द्वारा प्रार्थना करते हैं कि उक्त..... के लिए..... को उसके शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाए

हम और विवरण नीचे दे रहे हैं और शीघ्र निर्णय लेने की प्रार्थना करते हैं—

1. संरक्षक प्रदान किया जाने वाले व्यक्ति का विवरण, नाम:

आयु:

निःशक्तता का स्वरूप:

पता:

2. संरक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का विवरण

नाम:

आयु:

वार्ड के साथ संबंध, यदि कोई हो:

पता:

हम उक्त..... का निःशक्तता प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न कर रहे हैं जिसे..... से प्राप्त किया गया है।

साक्षी

पहला साक्षी

दूसरा साक्षी

भवदीय,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम:

पदनाम:

कार्यालय मोहर:

संरक्षक नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की सहमति

मैं एतद् द्वारा.....के शरीर और संपत्ति का संरक्षक बनने के लिए सहमत हूं और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वर्तन उचित कर्मठता के साथ करूंगा

हस्ताक्षर

नाम

तारीख

उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए संरक्षक की सहमति, यदि कोई हो।

.....के संरक्षक के रूप में.....को नियुक्त करने के उपर्युक्त प्रस्ताव से मैं एतद् द्वारा सहमत हूं।

हस्ताक्षर

नाम

तारीख

फॉर्म 'बी'

(1) एक पजीकृत संगठन (2) निःशक्त व्यक्ति के मां बाप या संबंधी द्वारा दिए आवेदन पर संरक्षक की नियुक्ति की पुष्टि का फॉर्म

-----पर स्थित स्थानीय स्तर समिति ने -----
के लिए-----को संरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए-----के
द्वारा दिए आवेदन पर विचार किया है और संरक्षक की नियुक्ति के लिए अपने निर्णय की एतद् द्वारा निम्नानुसार पुष्टि करता है:

1. वार्ड का नाम:
2. संरक्षक का नाम:
3. संरक्षक के कर्तव्य
 - (क) देखरेख और रिहायशी देखभाल
 - (ख) अचल सम्पत्ति की प्रबन्ध व्यवस्था
 - (ग) चल सम्पत्ति की प्रबन्ध व्यवस्था
 - (घ) कुछ अन्य:

संरक्षक इस समिति को सम्पत्ति का ब्योरा इन नियमों में निर्धारित फार्म ग और फार्म घ में प्रस्तुत करेगा

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

तारीख.....

मोहर.....

फॉर्म 'सी'

(नियम 27 (1) देखें)

वार्ड की संपत्ति के बारे में विवरण का फॉर्म जिसे संरक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति के 6 माह के भीतर संरक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा

1. संरक्षक का नाम
2. वार्ड का नाम
3. संरक्षक की नियुक्ति की तारीख
4. संरक्षक द्वारा प्राप्त वार्ड की अचल संपत्ति की सूची (मद-वार प्रस्तुत की जाएगी):
 - (i) स्वरूप
 - (ii) अनुमानित बाजार मूल्य
 - (iii) स्थान
5. संरक्षक द्वारा प्राप्त वार्ड की चल संपत्ति की सूची (मद-वार प्रस्तुत की जाएगी):
 1. ब्योरा
 2. राशि
6. वार्ड की लंबित देनदारियां:
 - i) स्वरूप
 - ii) राशि
7. वार्ड की लंबित प्राप्य दावे:
 - i) स्वरूप
 - ii) राशि

मैं घोषणा करता हूं कि उपयुक्त सूचना सत्य है और मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही है।

साक्षी

पहला साक्षी

दूसरा साक्षी

संरक्षक के हस्ताक्षर

फार्म 'डी'

(नियम 27 (1) देखें)

संपत्ति और परिसंपत्तियों के लेखे का फार्म जिसे संरक्षक द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति की 3 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा

1. संरक्षक का नाम:
2. वार्ड का नाम:
3. वार्ड की अचल संपत्ति जो दिनांक.....को संरक्षक द्वारा धारित है
(पद-वार उपलब्ध करायी जाए)
 - i) स्वरूप:
 - ii) अनुमानित बाजार मूल्य:
 - iii) स्थान:
4.से.....तक की अवधि के लिए प्राप्तियां और भुगतान
भुगतान.....प्राप्तियां.....लेखा शीर्ष.....
5.को संरक्षक के चार्ज में वार्ड की चल परिसंपत्तियां
 - i) स्वरूप
 - ii) राशि
6.को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिफल के लिए मोचित या अन्यसंक्रांत पूंजी निवेश
7.को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए नये पूंजी निवेश (नवीकरणों सहित)
8.को समाप्त वर्ष के दौरान वार्ड की की चल परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि/कमी
9. उपयुक्त (8) की विभिन्नताओं के लिए संक्षिप्त स्पष्टीकरण :

मैं एतद् द्वारा घोशणा करता हूं कि उक्त सूचना सच्ची है और मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान

तारीख

साक्षी

संरक्षक के हस्ताक्षर

फार्म-ई

(नियम 27(3) देखें)

एक स्वैच्छिक संगठन/मां बाप के संघ/अशक्त व्यक्तियों के संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन का फार्म

1. संगठन
नाम
पता (कार्यालय/परियोजना)
फोन/फैक्स/टैलेक्स (कार्यालय)/परियोजना
- 2 i) अधिनियम का नाम जिसके अन्तर्गत पंजीकृत
ii) पंजीकरण से और पंजीकरण की तारीख (कृपया एक फोटो-कॉपी संलग्न करें):
3. संघ के ज्ञापन और उप-विधियां (कृपया एक फोटो-कॉपी संलग्न करें):
- 4 प्रबन्धन बोर्ड और शासी निकाय के सदस्यों के नाम, पते, पेशा और अन्य ब्यौरे
- 5 संगठन की वर्तमान गतिविधियां
- 6 वर्तमान सदस्य संख्या और प्रलेखों का सूची को टिकरण संलग्न किया जाए
(क) पिछले वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति
(ख) गत दो वर्षों की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित सम्यकरण से प्रमाणित लेखा की लेखा-परीक्षित विवरणी
i) गत दो वर्षों के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा)
ii) आय और व्यय लेखा गत दो वर्षों के लिए (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा)
iii) गत दो वर्षों के लिए तुलना पत्र (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा)
(ग) नियोजित कर्मचारियों के ब्योरे
(घ) शामिल होने वाले अधिकारियों के ब्योरे
(ङ) क्या हॉस्टल रखा हुआ है यदि हां तो हॉस्टल में रहने वालों की संख्या:
(च) अन्य शर्तें, यदि कोई हों
(छ) क्या अपने भवन (किराये पर भवन स्थित है
(जरूरी साक्ष्य संलग्न किया जाये)

नाम

पदनाम

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

पता

तारीख

कार्यालय मोहर

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम,
2001

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय
स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताग्रस्त
व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2001

जी एस आर 579 (ई) – स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु- निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 4) की धारा 35 की उपधाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्

1. **संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ** (1) इस विनियमों को न्यास विनियम, 2001 कहा जाएगा
(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वे लागू हो जायेंगे।
2. **परिभाषाएँ**— इस विनियमों में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - (क) “अधिनियम” का अर्थ स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु- निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 4) है।
 - (ख) “फार्म” से फार्म अभिप्रेत हैं जो इन विनियमों या स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 2000 के साथ संलग्न हैं, जैसी भी स्थिति हो;
 - (ग) “वर्ष” का अर्थ पहले अप्रैल से आरंभ और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष से है;
 - (घ) इन विनियमों में प्रयुक्त सब अन्य शब्द या पद, लेकिन जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।
3. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारियों और न्यास के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें**—
 - (1) न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन, बने रहने और पुष्टि के लिए केन्द्र सरकार कार्मिक मंत्रालय, जन शिकायतों और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा समय समय पर जारी-निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड उत्तरदायी होगा।
 - (2) भर्ती नियम— बोर्ड भर्ती नियम बनाएगा, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केन्द्र सरकार वेतनमानों को अपनायेगा और शैक्षणिक और वृत्तिक अर्हताएं, अनुभव, आयु आदि न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न पदों को निर्धारित करेगा।
 - (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, पूर्व-सैनिकों और निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण भारत सरकार के समय समय पर लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा। केन्द्र सरकार के आरक्षण के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड रोस्टर रखेगा।
 - (4) न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया— न्यास की सेवा में पद या तो “स्थायी पद” होंगे यानी नियमित पद होंगे जिनका एक निश्चित वेतनमान होता है जो किसी समय सीमा के बिना स्वीकृत किए जाते हैं, या “अस्थायी पद” यानी एक पद जिसका निश्चित वेतनमान होता है लेकिन सीमित समयावधि के

लिए स्वीकृत किया जाता है। एक कर्मचारी को सीमित अवधि के लिए ठेके पर भी नियुक्त किया जा सकता है जिसकी अधिकरण अवधि 5 वर्ष की होगी। ठेके पर लिए गए किसी कर्मचारी को भत्तों के बिना समेकित वेतन दिया जाता है। पदों का विज्ञापन प्रसिद्ध राष्ट्रीय सामाचार पत्रों में दिया जाएगा और भर्ती अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम 30 दिन का समय आवेदन प्रस्तुत करने के लिए दिया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनकी समीक्षा करेगा और चयन समिति की बैठक के लिए तारीख निर्धारित करेगा। केन्द्र सरकार के ग्रुप 'ए' के बराबर पदों के लिए चयन समिति अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी जबकि केन्द्र सरकार के ग्रुप 'बी', 'सी' और 'डी' के समतुल्य पदों के लिए चयन समिति का गठन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार जांची गई सब अर्जियों कि चयन समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। चयन समिति उम्मीदवारों की आयु, अर्हता और अनुभव के आधार पर गुणागुण पर भर्ती नियमों में यथा निर्धारित के अनुसार चयन कर सकती है। यदि सब उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाना संभव नहीं है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास अधिकार होगा कि अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित केवल लघु सूची पर रखे उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

- (5) नियुक्त प्राधिकारी – मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। ऐसे पदों के लिए सब नियुक्तियां जिन के वेतनमान का अधिकतम तेरह हजार पांच सौ रुपये से नहीं बढ़ता बोर्ड द्वारा, केन्द्र सरकार के पूर्वअनुमोदन के साथ, नियुक्ति की जाएगी। केन्द्र सरकार के ग्रुप 'ए' के समतुल्य पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड का अध्यक्ष होगा जबकि केन्द्र सरकार के ग्रुप 'बी', 'सी' 'आर' 'डी' के समतुल्य पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
- (6) किसी को पूर्णकालिक रोजगार पर नियुक्त कराता है तो उसे केवल तब ही नियुक्त किया जाएगा जबकि पद का ग्रहण के समय पर वह निम्नलिखित प्रस्तुत करता है:—
 - (क) चिकित्सा और अरोग्य प्रमाण पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिला चिकित्सा अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से;
 - (ख) शैक्षणिक अर्हताओं, जन्मविधि और अनुभव के समर्थन में मूल डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र;
 - (ग) सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या किसी राजपत्रित अधिकारी या अन्य समतुल्य सक्षम प्राधिकारी से चरित्र सत्यनिष्ठा और पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र;
 - (घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग या पूर्व सैनिक या निःशक्तता का प्रमाण पत्र, यदि लागू हो;
 - (ङ) यदि विवाहित तो इस आशय का प्रमाण पत्र कि वह एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं रखता/रखती।
- (7) वेतन और भत्ता— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारी पद के वेतनमान में वेतन के पात्र होंगे जो उन्होंने भर्ती विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट धारित किया है। महंगाई भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के वे पात्र होंगे जो उनके वेतन के उपयुक्त केन्द्र सरकार नियमों के स्वीकार्य दरों पर होगा।
- (8) परिवीक्षा की अवधि—सब अधिकारी और कर्मचारी पदभार संभालने की तारीख से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होंगे, उन्हें छोड़ जो न्यास में प्रतिनियुक्ति पर आये हैं। इस परिवीक्षा अवधि के दौरान, अधिकारियों या

कर्मचारियों की सेवाओं को, यदि असंतोषप्रद पायी जाएं किसी भी सूचना दिए बिना और कोई कारण बताए बिना केन्द्रसरकार के नियमों के अनुसार समाप्त की जा सकती है।

- (9) अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण कालिक सेवा होंगे— जब तक कि अन्यथा विशिष्ट रूप से उपबोधित न हो न्यास के अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण कालिक कर्मचारी होंगे और उनका कार्य समय बोर्ड के निपटान पर होगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी भी तरीके से उन्हें नियोजित किया जा सकता है।
- (10) बीमा— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 5 न्यास के अधिकारी और कर्मचारी अपने वेतन के उपयुक्त जीवन बीमा आवरण के उसी तरीके से, उन्हीं स्केलो पर और उन्हीं शर्तों पर पात्र होंगे जैसा कि सरकारी कर्मचारी केन्द्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के अन्तर्गत पात्र होते हैं जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय अनुभाग) द्वारा F7 (5) EV/89 दिनांक प्रथम नवम्बर, 1980 के अनुसार अधिसूचित किया गया था।
- (11) समस्त भारत में सेवा करने का दायित्व—न्यास के अधीन नियोजित कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी भारत में किसी भी स्थान पर सेवा करने का दायी होगा।
- (12) प्रशिक्षण प्राप्त करने का दायित्व— इस विनियमों के उपबंधों के अन्तर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने का दायी होगा जैसा कि सक्षम अधिकारी चाहेगा। वह भारत में प्रशिक्षण के अनुक्रम के लिए भेजे जाने का दायी होगी/होगी जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्णय लिया जाए। किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाता है जिसकी अवधि छः माह या अधिक है या भारत के बाहर या प्राइवेट फर्म या भारत में स्थापनाओं के पास, प्रशिक्षण की अवधि का लिहाज किए बिना भेजा जाता है तो वह खर्च की पूरी राशि या प्रशिक्षण का खर्च वापस अदा करने का दायी होगा यदि किसी कारण से प्रशिक्षण के दौरान या ऐसा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद तीन वर्ष की अवधि के दौरान वह न्यास में अपनी सेवा समाप्त करने का विकल्प देता/देती है।
- (13) चिकित्सा उपचार के लिए सुविधाएं— चिकित्सीय परिचर्या नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाएं जैसा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू हैं; न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय होंगी
- (14) छुट्टी मंजूर करना – (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारी—केन्द्रीय सिविल सेवा—(छुट्टी) नियम, 1972 के उपबंधों के और केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर उसके अंतर्गत जारी आदेशों के अनुसार शासित होंगे।
 - (2) अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संबंध में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम अधिकारी होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम अधिकारी होगा।
- 15 वरिष्ठता—अधिकारियों और कर्मचारियों की वरिष्ठता कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार शासित होगी।
16. सेवा—निवृत्ति— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी।

- 16ए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पदाविधि—जब तक केन्द्र सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पदाविधि पांच वर्ष की अवधि के लिए उस तारीख से होगी जब वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है या जब तक कि वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करता, जो भी पहले हो, (जी एस आर 1022 (ई) दिनांक 24 दिसंबर 2010 द्वारा संशोधित)
17. आचरण— (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रत्येक मुख्य अधिकारी और प्रत्येक कर्मचारी सब समय पूर्ण निष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा और ऐसा कुछ नहीं करेगा जो एक अधिकारी के लिए अशोभनीय है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का आचरण और व्यवहार केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों, 1964 के उपबंधों और केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर उसके अंतर्गत जारी आदेशों द्वारा शासित होगा।
- (2) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों और अनुशासन, शास्ति कि अधिरोपण, जांच, अपील और अन्य संबंधित मामलों पर लागू होंगे।
- (3) एक दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे—
- (क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए अध्यक्ष;
- (ख) अन्य कर्मचारियों के मामले में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- (4) अध्यक्ष के शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के विरुद्ध अपील केन्द्र सरकार को और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष को की जाएगी।
18. **छुट्टी यात्रा रियायतें**— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारी अपने वेतनमान के उपयुक्त उसी दर पर, उसी मापमान और उन्हीं षर्तों पर जैसी केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को समय समय पर अनुज्ञेय है छुट्टी यात्रा रियायत के लिए प्राप्त होगा।
19. **यात्रा भत्ता** — (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारी न्यास की सेवा में की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, निजी वस्तुओं के परिवहन के लिए भत्ता और अन्य समान मामलों में अपने वेतन के उपयुक्त, उसी मानमान पर, उसी दर पर और उन्ही षर्तों पर जो केन्द्र सरकार कर्मचारियों का समय समय पर अनुज्ञेय हैं, पात्र होंगे।
- (2) एल टी सी की मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी—
- (क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ग्रुप 'ए' अधिकारियों के मामले में अध्यक्ष,
- (ख) अन्य कर्मचारियों के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
20. प्रतिनियुक्ति— (1) एक सरकारी कर्मचारी या केन्द्र या राज्य स्वायत्त: संगठन, सांविधिक मंडल या अर्धसरकारी संगठनों के कर्मचारी को केन्द्र सरकार नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है।
- (2) न्यास का कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र या राज्य सरकार संगठनों में न्यास और उधार लेने वाले संगठनों के बीच परस्पर स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर जा सकता है। वह न्यास की सेवा से

हटाए जाने का दायी होगा और अन्य ऐसी अन्य कार्यवाही के लिए दायी होगा जो न्यास उसके विरुद्ध करना जरूरी या उचित समझे।

- (21) तथ्यों और सूचना का दबा कर दमन—यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी द्वारा की गई कोई घोषणा या दी गई घोषणा या दी गई सूचना मिथ्या या गलत पाई जाती है या ऐसा पाया जाता है कि किसी तात्विक सूचना को जानबूझ कर दबाया गया है तो अधिकारी या कर्मचारी न्यास की सेवा से हटाये जाने का दायी होगा और ऐसी अन्य कार्यवाही का भी दायी होगा जो न्यास उसके विरुद्ध करने का जरूरी या उचित समझे।
22. सेवा की सामान्य शर्तें— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन, भत्ते, मान देय, प्रतिपूर्ति भत्ता, पद—ग्रहण समय, लियन, पुष्टि, बरखास्तगी, पदच्युति, निलंबन, सेवा निवृत्ति और अन्य संबंधित मामलों सहित सेवा की सामान्य शर्तें मूल नियमों और अनुपूरक नियमों, वित्तियों नियमों, केन्द्र सरकार (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 और केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के उपबंधों के अनुसार शासित होगी।
23. सेवा का रिकार्ड रखना—न्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तकों, गोपनीय रिपोर्टों और अन्य सेवा रिकार्ड को अनुपूरक नियमों के उपबंधों के अनुसार रखेगा।
24. सेवा का विस्तार या सेवा निवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन समय समय पर लागू केन्द्र सरकार अनुदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा
25. छुट्टियां और कार्य घंटे—छुट्टियां, प्रावकाश और कार्य घंटे जो केन्द्र सरकार कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय है उन्हें यथावश्यक परिवर्तनों सहित न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाएगा
26. न्यास में सेवा की अवधि के दौरान किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्राइवेट प्रैक्टिस या प्राइवेट सेवा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. सदस्यों के सिवाय सहायता या सलाह के लिए व्यक्तियों को संबद्ध करने का तरीका

- (1) बोर्ड अपने साथ किसी व्यक्ति को सम्बद्ध कर सकता है जो किसी पंजीकृत संगठन का प्रतिनिधित्व करता है या एक वृत्तिक है जैसा कि निःशक्त बच्चे का मांबाप, कानूनी विशेषज्ञ, वित्तीय परामर्शदाता, पुनर्वास वृत्तिक, प्रबन्धन परामर्शदाता या अन्य व्यक्ति या वृत्तिक जो बोर्ड की राय में, सहायता और सलाह दे सकता है जिससे न्यास के उद्देश्यों के अग्रसर करने में योगदान मिलेगा।
- (2) इस प्रकार सम्बद्ध किए गए और बोर्ड की बैठकों में आमंत्रित किए गए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या एक दत्त समय में या किसी दत्त कार्यसूची मद पर जिसे बोर्ड ने चर्चा के लिए रखा है आठ से अधिक नहीं होगी।
- (3) बोर्ड के साथ काम कराने के लिए अल्पावधि परामर्शदाता, निरीक्षक या सलाहकार नियुक्त कर संकता है और नियुक्ति की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी।
- (4) बोर्ड अपना काम करने के लिए अल्पावधि परामर्शदाता, निरीक्षक या सलाहकार नियुक्त कर सकता है और नियुक्ति की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी।

- (5) बोर्ड संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति या वृत्तिक की नियुक्ति कर सकता है जो इसकी राय में इसका काम करने में सहायता या सलाह या योगदान दे सकता है
- (6) मुख्य कार्यकारी अधिकारी—बोर्ड के अध्यक्ष के परामर्श के साथ, जहां बोर्ड के हित में स्थिति की अत्यावश्यकता ऐसी मांग करती है, किसी व्यक्ति या वृत्तिक को अल्पाविधि परामर्शदाता या निरीक्षण या सलाहाकार के रूप में या निरीक्षण या सलाहाकार के रूप में न्यास का कार्य करने के लिए तत्काल कार्यवाही कर सकता है और अगली बैठक में बोर्ड द्वारा उसका अनुसमर्थन करा सकता है।
- (7) यदि किसी व्यक्ति या वृत्तिक को बोर्ड की बैठक या बोर्ड द्वारा गठित समिति या उपसमिति की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वह पांच सौ रुपये प्रतिदिन के लिए बैठक शुल्क का यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते के अन्यथा प्राप्त करने का हकदार है जो केन्द्र सरकार नियमों के अनुसार अनुज्ञेय है।
- (8) न्यास का काम करने के लिए यदि एक व्यक्ति या वृत्तिक अल्पाविधि परामर्शदाता, निरीक्षक या सलाहाकार के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह समेकित परामर्श फीस प्राप्त करने का मात्र होगी जैसी बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।

5. बोर्ड की बैठके—

- (1) बोर्ड तीन माह में कम से कम एक बार न्यास के मुख्यालय नई दिल्ली में बैठक करेगा जो ऐसे समय और तारीख को होगी जैसा बोर्ड का अध्यक्ष निर्धारित करेगा।
- (2) भारत में न्यास द्वारा अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित करने की स्थिति में, बोर्ड की बैठक भारत में इसके किसी भी कार्यालय में होगी और बैठक के समय और तारीख का बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (3) पिछले वर्ष के दौरान न्यास की गतिविधियों के रिकार्ड और लेखों का एक विवरण वार्षिक आम सभा की सूचना के साथ प्रत्येक पंजीकृत संगठन या संघ को भेजा जाएगा कि बैठक की निर्धारित तारीख के कम से कम तीस दिन पहले उन्हें प्राप्त हो जाए।

स्पष्टीकरण—

- 1 इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए, पोस्टल या संचार के अन्य माध्यमों के लिए एक सप्ताह की अवधि पर्याप्त होगी।
- 2 इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए, ऐसे संगठन जो बोर्ड के पास पंजीकृत हैं लेकिन भुगतान के बकाये हैं या कुछ राशि या राशियां का भुगतान या पुनः भुगतान किया जाना है जिसे अलग से निर्धारित किया जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाएगा।
 - (क) सूचना भेजे जाने में अनजाने में हुई चूक या बैठक की सूचना किसी पंजीकृत संगठन द्वारा प्राप्त न होने से वार्षिक आम सभा का आयोजित या उस पर कार्यवाहियां किया जाना अविधिमान्य नहीं हो जाएगी जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि मात्र पंजीकृत संगठनों में से 5 प्रतिशत से अधिक ने सूचना प्राप्त नहीं की हैं
 - (ख) कुल मात्र पंजीकृत संगठनों का 20 प्रतिशत या वार्षिक आमसभा में मौजूद का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक है, वह बैठक का कोरम माना जाएगा और यदि नियत समय पर कोरम पूरा नहीं है तो बैठक 30 मिनट तक स्थगित मानी जाएगी और अंतराल की समाप्ति पर पुनः

बुलाई जाएगी और ऐसी पुनः बुलाई बैठक के लिए कोरम की शर्तें लागू नहीं होगी।

- (3) प्रत्येक पात्र पंजीकृत संगठन अपना प्रतिनिधि नामित कर सकता है और उसकी अनुपस्थिति में वार्षिक आम सभा में भाग लेने के लिए और मतदान, जो हो सकता है, में भाग लेने के लिए एक वैकल्पिक प्रतिनिधि नामित कर सकता है।

6. पंजीकरण के लिए दिए जाने वाले आवेदन करने का तरीका और फार्म

- (1) इस अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एक संगठन के पंजीकरण के लिए आवेदन नियमों के अन्तर्गत फॉर्म 'ए' या फॉर्म 'ई' में किया जाएगा
- (2) आवेदन न्यास के मुख्यालय या इसके क्षेत्रीय कार्यालय में, यदि कोई हो भेजा जाएगा जहां आवेदक के स्थान पर कार्यालय है।
- (3) आवेदन के साथ देय पंजीकरण शुल्क एक संगठन के लिए दो हजार रुपये होगी जिसका पंजीकृत कार्यालय शहरी क्षेत्र में है और ऐसे संगठन के लिए एक हजार रुपये होगी जिसका पंजीकृत या प्रधान कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है (जीएसआर (ई) दिनांक 27 जून 2006 द्वारा संशोधित)
- (4) पंजीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- (5) बोर्ड अपने विवेकानुसार संगठनों से मुद्रण, श्रव्य, दृश्य, इलैक्ट्रानिक या ऐसे अन्य मीडिया के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकता है।

7. पंजीकरण प्रदान करने के लिए प्रक्रिया

- (1) बोर्ड पंजीकरण के लिए न्यूनतम मानक अधिसूचित करेगा
- (2) पंजीकरण का प्रमाण पत्र फार्म—'बी' में जारी किया जाएगा
- (3) पंजीकरण के प्रमाण पत्र का नवीकरण फार्म 'सी' में होगा
- (4) मंजूरी प्राधिकारी द्वारा:
 - (क) पंजीकरण से इन्कार कर सकता है;
 - (ख) किसी पंजीकरण के प्रचालन को निलंबित कर सकता है; और
 - (ग) पंजीकरण को रद्द कर सकता है।
- (5) आवेदन या निर्णय लेने से पूर्व बोर्ड अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण मांग सकता है या आवेदक को कह सकता है कि सुनवाई के लिए उपस्थित हो।
- (6) यदि कोई आवेदक निःशक्त वाले व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत या मान्यता प्राप्त है तो पंजीकरण प्रदान करते समय उसे अधिप्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- (7) पंजीकरण से इन्कार किया जा सकता है जबकि दी जाने वाली कोई सूचना आवेदक द्वारा नहीं दी गई है या वह गलत दी गई है या फार्म में त्रुटियां पाई गई हैं।

- (8) यदि कोई कमी हो तो उसे निर्धारित समय के भीतर ठीक कराया जाना चाहिए और यदि आवेदक विफल हो जाता है तो न्यास आवेदन रद्द करने का एक आदेश जारी करेगा और उसपर कारण दर्ज होगा।
- (9) पंजीकरण का प्रचालन निलंबित करने या अधिनियम, नियम या अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने के लिए जारी रहने के दौरान रद्द करने से पहले न्यास द्वारा सुनवाई का आवेदक को एक अवसर दिया जाएगा।
- (10) आवेदक को सुने जाने का एक अवसर देने के बाद, न्याय पंजीकरण किसी दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल के लिए पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है

8. न्यास की योजनाओं और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पंजीकृत संगठनों के मूल्यांकन की प्रक्रिया—

- (1) ऐसे कार्यक्रमों और योजनाओं के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार न्यास की योजनाओं और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बोर्ड मानदंड तय कर सकता है।
- (2) बोर्ड, आदेश द्वारा, ऐसे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के निष्पादन के मूल्यांकन और निगरानी के लिए यंत्रावली निर्धारित कर सकता है और ऐसे मानदंडों में पंजीकृत संगठनों या संघों की पूर्व निधिकरण स्थिति को शामिल किया जाएगा।

9. पंजीकरण की मान्यता वापस लेना और इसके परिणाम

- (1) यदि सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) या कम्पनीज अधिनियम, 1956 (1959 का 1) किसी लोक पूर्व न्यास के रूप में कोई संघ या संगठन एक पंजीकृत संगठन नहीं रहता तो यह संघ या संगठन न्यास के पास पंजीकृत नहीं रहेगा।
- (2) उपर्युक्त को प्रकट करने में किसी विफलता के फलस्वरूप कार्रवाई की जा सकती है जिसमें अनुदान या ऋण या इमदाद के रूप में दी गई किसी या सब निधियों का ब्याज सहित या बिना वापस किया जाना, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए, शामिल हो सकता है।

स्पष्टीकरण : इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए ऐसी कार्यवाही ऐसी निधि तक सीमित रहेगी जिसे विचाराधीन अवधि के दौरान ऐसे संगठन को उपलब्ध कराया गया है और इसमें रकम शामिल हो सकती है जो पहले उपलब्ध कराए गए हैं जिसके लिए किस्तें दी जानी है या विचाराधीन अवधि में दी गई है।

10. स्थानीय स्तर समिति के गठन का तरीका और फॉर्म: (1) स्थानीय स्तर समिति में पंजीकृत संगठनों के प्रतिनिधि रहेगे जो मुख्यतः संबंधित जिला में काम करते हैं।

- (2) निःशक्त व्यक्ति जैसा कि निःशक्तता वाले व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का) की धारा 2 के खण्ड (1) में परिभाषित किया गया है कि ऐसे सब व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो जिला में रह रहे हैं और निःशक्तता संबंधित कार्य में शामिल हैं।

11. संरक्षकता के लिए कौन आवेदन दे सकता है—(1) मां बाप दोनों संयुक्त रूप से या मृत्यु, तलाक, कानूनी पृथकता, अभिव्यंजना या सिद्ध दोष के कारण एक की अनुपस्थिति में अपने वार्ड की 18 वर्ष की आयु के परे साक्षरता के लिए जैसी भी स्थिति हो अकेले ही आवेदन कर सकता/सकती है।

- (2) मृत्यु, अभिव्यंजन, मां बाप दोनों के सिद्ध होने की स्थिति में बहन भाई (सौतेले बहन भाई सहित) संयुक्त रूप से या अकेले (अकेले आवेदन का कारण अलग से बताया जाएगा) परिवार के निःशक्त सदस्य की संरक्षकता के लिए आवेदन दे सकते हैं

- (3) उप विनियम (1) और (2) के प्रयुक्त न किए जाने की स्थिति में संरक्षकता के लिए एक संबंधी आवेदन दे सकता है।
- (4) उप-विनियम (1), (2) और (3) के उपयोजन न करने की स्थिति में, कोई भी पंजीकृत संगठन संरक्षकता के लिए आवेदन दे सकता है।
- (5) किसी बेसहारा या परित्यक्त व्यक्ति के मामले में स्थानीय स्तर समिति एक पंजीकृत संगठन को निर्देश दे सकती है कि संरक्षकता के लिए आवेदन दें।

12 आवेदक द्वारा संरक्षक के रूप में किस का उल्लेख किया जाए—

- (1) दोनों मां-बाप संयुक्त रूप से या मृत्यु, तलाक, कानूनी पृथकता, अभिव्यंजन या सिद्ध दोष के कारण एक की अनुपस्थिति की स्थिति में अकेले अवयस्क का नैसर्गिक संरक्षक होते हुए स्थानीय स्तर सीमिति का आवेदन दे सकता है ताकि उन्हें या उसे, जैसी भी स्थिति हो, उनके या उसके, जैसी भी स्थिति हो निःशक्त वार्ड के संरक्षक के रूप में 18 वर्ष की आयु के आगे नियुक्त करे जिस मामले में आवेदन स्वीकार किया जाएगा जब तक कि मां-बाप निम्नलिखित के कारण निर्हित है—
 1. नागरिकता की हानि
 2. विक्षिप्त चित्त के होने पर
 3. न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर
 4. दीनहीन होने के कारण
- (2) आवेदक भाई बहनों या आखिर के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति या पंजीकृत संस्थान का संरक्षक के रूप में विचार किए जाने के लिए उल्लेख कर सकता है और संस्थानों की स्थिति में संस्थानों की पात्रता के लिए शर्तें वे होंगी जैसी उप-विनियम (3) (4) और (5) में अनुबद्ध है।
- (3) संस्थान के संरक्षक के रूप में विचार किए जाने की स्थिति में, संस्थान एक कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए और व्यक्ति को देखरेख उपलब्ध कराने के योग्य होना चाहिए।
- (4) संस्थान के कानून के अंतर्गत पंजीकृत न रहने और कम करने से बन्द करने या अन्यथा अनुपयुक्त पाये जाने की स्थिति में स्थानीय स्तर समिति किसी ऐसे निवासी या वार्ड की पोशण देखरेख के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं करेगी जो किसी ऐसे संस्थान की देखरेख के अन्तर्गत है।
- (5) उपनियम (4) के अन्तर्गत वैकल्पिक देख रेख स्थायी प्रकृति की नहीं होगी और एक वर्ष की अवधि के भीतर स्थायी संरक्षकता द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।
- (6) आवेदक उस स्थान के आसपास में निकट सामीप्यता में रहने वाला होना चाहिए जहां संरक्षक की नियुक्ति के समय वार्ड अभ्यासतः रह रहा है।
- (7) किसी महिला विकलांग के लिए किसी अकेले पुरुष पर विचार नहीं किया जाएगा और स्त्री वार्ड के मामलों में पुरुष व्यक्ति को उसकी पत्नी के साथ सह-संरक्षकता दी जानी चाहिए जो मास्टर सह-संरक्षक होगी

13 संरक्षक की नियुक्ति करने के लिए आवेदन प्राप्त करना, संसाधित करना और पुष्टि करना

- (1) स्थानीय स्तर समिति नियमों के अन्तर्गत संरक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन फार्म 'ए' में प्राप्त करेगी (जीएसआर 123(ई), दिनांक 16 फरवरी 2004 द्वारा संशोधित)

- (2) संरक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने पर, स्थानीय स्तर समिति आवेदन की समीक्षा करेगी और किसी समर्थकारी प्रलेख या सूचना की मांग करेगी जो संरक्षकता के मामले पर फैसला करने के लिए जरूरी है।
- (3) उनकी बजाय अन्य द्वारा मां बाप से संरक्षक के लिए आवेदन प्राप्त करने के मामले में स्थानीय स्तर समिति किसी तरीके से मां बाप का परामर्श लेने के बारे में निर्णय ले सकती है ताकि मां बाप की बजाए अन्य संरक्षक पाने की असलीयत को निर्धारित करने के बारे में निर्णय लिया जा सके।
- (4) यदि निःशक्त व्यक्ति के लिए, जिसे संरक्षक की जरूरत है, मां बाप उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह स्वेच्छाचारी, बेसहारा है या परित्यक्त पाया गया है तो समिति का सदस्य या सदस्यगण किसी पंजीकृत संगठन से आवेदन मांग सकते हैं ताकि उस व्यक्ति के लिए संरक्षकता की प्रक्रिया आरंभ की जाए।
- (5) निःशक्त व्यक्ति का मूल्यांकन स्थानीय स्तर समिति द्वारा किया जाना चाहिए ताकि संरक्षकता की जरूरत की असलीयत को निर्धारित किया जाए और स्थानीय स्तर समिति के लिए खुला होगा कि जरूरत को निर्धारित करने के लिए तकनीकी कार्मिक या उसकी सेवाओं मांग कर सके।
- (6) स्थानीय स्तर समिति उस व्यक्ति की योग्यताओं और उपयुक्तता के बारे में अपने आपको संतुष्ट करेगी जिसपर संरक्षकता प्रदत्त की जा रही हैं।
- (7) व्यक्तिगत देखरेख और भरणपोषण के लिए संरक्षकता के आवेदन स्वीकार किए जायेंगे ताकि निम्नलिखित क्षेत्रों को उसमें शामिल किया जाये, अर्थात्
 - (क) खुराक, वस्त्र और आश्रय की जरूरतें
 - (ख) स्वास्थ्य देखरेख की जरूरतें
 - (ग) धार्मिक जरूरतें
 - (घ) शिक्षा प्रशिक्षण और नियोजन जरूरतें
 - (ङ) अवकाश और पोषण की जरूरतें
 - (च) शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा
 - (छ) सांविधिक और मानव अधिकारों की सुरक्षा; और
 - (ज) चिकित्सीय और शल्य क्रिया जरूरतें
- (8) (1) किसी पंजीकृत संगठन द्वारा ; या (2) निःशक्त व्यक्ति के मां बाप या संबंधी द्वारा आवेदन विभागों के अन्तर्गत फार्म 'बी' में दिया जायेगा और उस पर संरक्षक की नियुक्ति की पुष्टि की जाएगी **(जीएसआर 123(ई), दिनांक 16 फरवरी 2004 द्वारा संशोधित)**

14 स्थानीय स्तर समिति द्वारा दिए गए आदेशों के विवरण— स्थानीय स्तर समिति बोर्ड को त्रैमासिक रूप से इसके द्वारा प्राप्त आवेदनों के और उनपर दिए गए आदेशों के ब्योरे और संरक्षकता के कार्य के मूल्यांकन पर रिपोर्ट भेजी जाएगी जिसे पंजीकृत माता पिता संगठनों के परामर्श के साथ निर्धारित किया जाएगा।

15 विविध—

इन विनियमों के अन्तर्गत न आने वाली किसी बात को केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से बोर्ड के आदेशों के अनुसार उस समय तक निर्धारित किया जाएगा, जबतक कि बोर्ड संशोधन विनियम तैयार न कर लें।

फॉर्म - 'ए'
(नियम 6 (1) देखें)
आवेदन फॉर्म

एक स्वैच्छिक संगठन/मां-बाप के संघ/निःशक्त व्यक्तियों
के संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन का फार्म।
(इसे केवल अंग्रेजी या हिन्दी में भरा जाए)

1. संगठन:
नाम:
पता:
फोन/फैक्स/टैलेक्स (कार्यालय):
(परियोजना) :
- 2 (i) अधिनियम का नाम जिसके अन्तर्गत पंजीकृत है:
(ii) पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख (कृपया एक फोटो-कॉपी संलग्न करें):
- 3 संघ का ज्ञापन और उपविधि (कृपया एक फोटो-कॉपी संलग्न करें)
- 4 प्रबन्धन बोर्ड/शासकीय निकाय के सदस्यों के नाम, पता, पेशा और अन्य विवरण:
- 5 संगठन की वर्तमान गतिविधियां:
- 6 वर्तमान सदस्य संख्या और वर्गीकरण:
प्रलेखों की सूची संलग्न करें :
(क) गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति
(ख) दो साल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेन्ट द्वारा
प्रमाणित लेखों की लेखा-परीक्षित विवरणी
(i) प्राप्ति और भुगतान लेखा (चार्टर्ड अकाउंटेन्ट द्वारा) गत दो वर्ष के लिए,
(ii) आय और व्यय लेखा (चार्टर्ड अकाउंटेन्ट द्वारा) गत दो वर्ष के लिए,
(iii) गत दो वर्ष के लिए तुलना पत्र (चार्टर्ड अकाउंटेन्ट द्वारा)
(ग) नियोजित कर्मचारियों के ब्योरे:
(घ) हिताधिकारियों के ब्योरे शामिल किए जायेंगे

- (5) यदि हॉस्टल की व्यवस्था है तो हास्टल में रहने वालों की संख्या
- (6) अन्य पदों, यदि कोई हो
- (7) क्या अपने भवन / किराये के भवन पर स्थित है

(आवश्यक साक्ष्य संलग्न किया जाए)

नाम:	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
पता:	पदनाम:
कार्यालय मोहर:	दिनांक:

एक फोटो कॉपी / टाइप प्रति / बेबसाइट से प्राप्त प्रति—www.thenationaltrust.in स्वीकार्य होगी।

फार्म - बी
(विनियम 7 (2) देखें)

पंजीकरण प्रदान करने के लिए फार्म
(अधिनियम की धारा 12(4) के अन्तर्गत)

पंजीकरण सं
.....

दिनांक.....

(संस्थान का नाम, पूरे पते सहित)

राष्ट्रीय न्यास द्वारा पंजीकृत की जाती है। पंजीकरण संख्या.....है

जो दिनांक.....तक वैध रहेगा जब तक कि न्यास के एक उपयुक्त आदेश द्वारा
निलंबित या रद्द न किया जाए

पंजीकरण प्राधिकारी के

हस्ताक्षर

(मोहर)

फॉर्म - सी
(विनियम 7 (3) देखें)
पंजीकरण नवीकरण के लिए फार्म

(संगठन का नाम पूरे पते के साथ)

स्वपरायणता (ऑटिज्म), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए न्यास के पास (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) इसकेकार्यों में भाग लेने के लिए पंजीकृत है। आवंटित पंजीकरण संख्या.....है जोसे..... तक विधि मान्य होगा। न्यास के साथ भविष्य में सब पत्राचार में संख्या का उल्लेख किया जाए।

स्थान:

हस्ताक्षर

दिनांक:

(मोहर)

राष्ट्रीय न्यास



स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता तथा बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

दूरभाष : +91-11-43187878, फ़ैक्स: 011-43187880

ईमेल : contactus@thenationaltrust.in, वेबसाइट: www.thenationaltrust.in